लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २७, १९६४/१८८५ (शक)

Volume XXVII, 1964/1885 (Saka)

[९ से २० मार्च, १९६४/१९ से ३० फाल्गुन, १८८५ (शक)]

[March 9 to 20, 1964/ Phalguna 19 to 30, 1885 (Saka)]

Preservation
Fumigated
On 14.12.83
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५ (शक)

Seventh Session, 1964/1885 (Saka)

(खण्ड २७ में अंक २१ से ३० तक हैं)

(Vol. XXVII contains Nos. 21 to 30)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सुची

अंक २८—बुधवार, १८ मार्च, १९६४/२८ फाल्गुन, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ट
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		२१७१—९७
*तारांकित प्रश्न संख्या		
६३३	दिल्ली में सरकारी भवनों पर कर	२१७१—७३
६३४	अफ्रीकी तथा एशियाई देशों को छात्रवृतियां	२१७३—७५
६३५	पेट्रो-केमिकल उद्योग	२१७५—७८
६३६	खम्भात तेल क्षेत्र	२१७८—७९
६३८	तकनीकी शिक्षा	२१७९—८१
६३९	विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषायें	२१८१—८५
६४०	निजी थैलियां	२१८५—८८
६४२	केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संघ	२१८८—९०
६४४	सिंदरी उर्वरक कारखाना	२१९०—९१
६४५	केन्द्रीय नागरिक राइफल ट्रेनिंग बोर्ड	२१९१—९२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
११	अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये अमरीका से सहायता	२१९३—९७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		
तारांकित प्रश्न संख्या		२१९७—२२२१
६३७	इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड	२१९७
६४१	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्था	२१९७—९८
६४३	स्काउट्स और गाइड्स संगम पूना	२१९८
६४६	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रधान का इटली का दौरा	२१९८
६४७	विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए तीन 'ग्रेड' पद्धति	२१९९
६४८	ग्रामीण संस्थायें	२१९९
६४९	दिल्ली विकास प्राधिकार	२१९९—२२००
६५०	एन० सी० सी० के कैडेटों को रियायत	२२००

*किसी प्रश्न पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 28—*Wednesday*, March 18, 1964/Phalguna 28, 1885 (Saka)

	Subject	Page
Oral Answers to Questions		2171—91
*Starred Question Nos.		
633	Taxes on Government Buildings in Delhi	2171—73
634	Scholarships to Afro-Asian Countries	2173—75
635	Petro-Chemical Industry	2175—78
636	Cambay Oilfield	2178—79
638	Technical Education	2179—81
639	Regional Languages in Universities	2181—85
640	Privy Purses	2185—88
642	Central Government Employees' Unions	2188—90
644	Sindri Fertilizer Factory	2190-91
645	Central Citizen's Rifle Training Board	2191-92
Short Notice Question No.		
11	Assistance from U.S.A. for Famine Stricken Areas	2193—97
Written Answers to Questions—		2197—2221
*Starred Question Nos.		
637	Indian Refineries Ltd.	2197
641	National Institute of Training in Industrial Engineering	2197—98
643	Sangam of Scouts and Guides, Poona	2198
646	O.N.G.C. Chief's Visit to Italy	2198
647	Three Grade System for University Teachers	2199
648	Rural Instiutes.	2199
649	Delhi Development Authority	2199—2200
650	Concession to N.C.C. Cadets	2200

*The sign+ marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६५१	अल्कोहल की कमी	२२००—०१
६५२	इंडिया आफिस लाइब्रेरी लन्दन	२२०२
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२५९	अध्ययन के एक विषय के रूप में "शिक्षा" . . .	२२०२—०४
१२६०	निकोबार से नारियल की सूखी गिरी का निर्यात . .	२२०४
१२६१	अध्यापन-कार्य के लिये सेवानिवृति व्यक्ति . . .	२२०५
१२६२	अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिये मैट्रिकोत्तर छात्रवृतियां .	२२०६
१२६३	उड़ीसा की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता	२२०६
१२६४	उड़ीसा के उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें . . .	२२०६
१२६५	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	२२०६—०७
१२६६	उड़ीसा में आदिम जाति खण्ड	२२०७
१२६७	मद्रास में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा . . .	२२०७
१२६८	मद्रास राज्य के विश्वविद्यालयों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान	२२०७—०८
१२६९	प्राथमिक स्कूलों के भवनों के लिये ऋण . . .	२२०८
१२७०	दिल्ली में भाषा अध्यापक	२२०८
१२७१	अंकलेश्वर तेल क्षेत्र	२२०८—०९
१२७२	सरकस संस्था	२२०९
१२७३	बर्दवान में पुरातत्वीयक अवशेष	२२०९
१२७४	स्कूलों के पाठ्यक्रम	२२१०
१२७५	हिन्दी सेल	२२१०
१२७६	सामान्य शिक्षा	२२१०—११
१२७७	दिल्ली पुलिस बैंड के धन का गबन . . .	२२११
१२७८	साहित्य अकादमी	२२११—१२
१२७९	नूनमाटी तेलशोधक कारखाने के उत्पाद . . .	२२१२
१२८०	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	२२१२—१३
१२८१	अन्दमान द्वीपसमूह में हायर सैकेंडरी स्कूल . . .	२२१३
१२८२	चुराई गई बुद्ध की प्रतिमा	२२१४

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION—*contd.*

Starred Question Nos.	Subject]	Pages
651	Shortage of Alcohol	2200–01
652	India Office Library, London	2202
Unstarred Question Nos.		
1259	Education as a subject of Study	2202—04
1260	Export of Copra from Nicobar	2204
1261	Retired Persons for Teachers Jobs .	2205
1262	Post-Matric Scholarships to Other Backward Classes .	2206
1263	Legal Aid to S.C.s & S.T.s in Orissa	2206
1264	Writ Petitions in Orissa High Court	2206
1265	Welfare of S.C.s and S.T.s in Orissa .	2206–07
1266	Tribal Blocks in Orissa	2207
1267	Primary and Secondary Education in Madras .	2207
1268	U.G.C. Grants to Madras Universities .	2207–08
1269	Loans for Primary School Buildings .	2208
1270	Language Teachers in Delhi	2208
1271	Ankleshwar Oilfield	2208–09
1272	Circus Institute	2209
1273	Archaeological Finds in Burdwan . . .	2209
1274	Syllabi for Schools	2210
1275	Hindi Cells	2210
1276	General Education	2210–11
1277	Misappropriation of Money belonging to Delhi Police Band	2211
1278	Sahitya Akademi	2211–12
1279	Noomati Refinery Products	2212
1280	National Discipline Scheme	2212–13
1281	H.S. Schools in the Andamans	2213
1282	Stolen Buddha Statuette	2214

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१२८३	नव जात शिशुओं के शव	२२१४
१२८४	क्रयावक्रय के लिये मकानों का निर्माण	२२१४
१२८५	बरौनी दिल्ली उत्पाद पाइप लाइन	२२१४—१५
१२८६	पिम्परी परियोजना	२२१५—१६
१२८७	पेनिसिलीन का मूल्य	२२१६
१२८८	ललित कला अकादमी की राष्ट्रीय प्रदर्शनी	२२१६
१२८९	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संक्षिप्त जीवनी	२२१७—१८
१२९०	दिल्ली के लिये सतर्कता आयोग	२२१८
१२९२	दिल्ली में टैक्सी चालक	२२१९
१२९२	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	२२१९
१२९४	रक्षा-बन्धन	२२१९
१२९५	राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कृषक	२२२०
१२९६	महिलाओं के लिए पोलीटेक्नीक	२२२०
१२९७	मोटल	२२२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

जम्मू के निकट भुलवाल भूलो नामक सीमावर्ती गांव पर सशस्त्र पाकिस्तानियों के हमले	२२२१—२३
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	२२२१
श्री यशवंत राव चह्वाण	२२२१—२३
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	२२२३—२८
सभा पटल पर रखे गए पत्र	२२२८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
सेंतीसवां प्रतिवेदन	२२२९
लोक लेखा समिति :	
बाईसवां प्रतिवेदन	२२२९
अनुदानों की मांगें	२२२९—५१
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	२२२९—४३
श्री अ० सि० सहगल	२२२९—३०
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	२२३०—३१

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.	Subject	Pages
1283	Bodies of Newly Born Babies	2214
1284	Construction of Houses on Hire-Purchase System	2214
1285	Barauni-Delhi Product Pipeline	2214—15
1286	Pimpri Project	2215—16
1287	Price of Penicillin	2216
1288	National Exhibition of Lalit Kala Akademi	2216
1289	Life Sketches of Fighters of Freedom Struggle	2217—18
1280	Vigilance Commission for Delhi	2218
1291	Taxi Drivers in Delhi	2219
1292	National Discipline Scheme	2219
1294	'Raksha Bandban'	2219
1295	S.C. and S.T. Agriculturists in Rajasthan	2220
1296	Polytechnics for Women	2220
1297	Motels	2221

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

Armed Pakistani raid in border village Bhulwal Mohu near Jammu . . . . . 2221—23

Shri P. R. Chakraverty 2221

Shri Y. B. Chavan . . . . . 2221—23

Re: Question of Privilege . . . . . 2223—28

Papers laid on the Table 2228

Committee on Private Members' Bills and Resolutions

Thirty-seventh Report 2229

Public Accounts Committee

Twenty-second Report 2229

Demands for Grants . . . . . 2229—59

Ministry of Information and Broadcasting— 2229—43

Shri A. S. Saigal . . . . . 2229—30

Shri Sidheshwar Prasad . . . . . 2230—31

अनुदानों की मांगें--जारी

विषय	पृष्ठ
श्री यु० द० सिंह	२२३१
श्रीमती कमला चौधरी	२२३१—३२
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	२२३२—३३
श्री प० ला० बारुपाल . . .	२२३४
श्री य० ना० सिंह	२२३४—३५
श्री प्रकाश वीर शास्त्री	२२३५—३६
श्री सत्यनारायण सिंह	२२३६—४३
श्रम और रोजगार मंत्रालय	२२४३—५१
श्री दीनेन भट्टाचार्य	२२४६—४७
श्री अ० प्र० शर्मा	२२४७—४८
श्री ह० चं० सौय	२२४८—४९
श्री अल्वारेस	२२४९—५०
श्री काशीनाथ पांडे	२२५०—५१

Demand for Grants—*contd.* Subject	Pages
Shri Y. D. Singh	2231
Shrimati Kamala Chaudhuri	2231—32
Shrimati Renu Chakravartty	2232—33
Shri P. L. Barupal	2234
Shri Y. N. Singh	2234—35
Shri Prakash Vir Shastri	2235—36
Shri Satya Narayan Sinha	2236—43
Ministry of Labour and Employment	2243—51
Shri Dinen Bhattacharyya	2246—47
Shri A. P. Sharma	2247—48
Shri H. C. Soy	2248—49
Shri Alvares	2249—50
Shri K. N. Pande	2250—51

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hinid]

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, १८ मार्च, १९६४/२८ फाल्गुन, १८८५ (शक)

Wednesday, March 18, 1964/Phalguna 28, 1885 (Saka)

[लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई]

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the chair.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में सरकारी भवनों पर कर

+

*६३३. श्री विभूति मिश्र :
श्री हेमराज :
श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने केन्द्रीय सरकार से यह कहा है कि वह सरकारी भवनों पर कर दें;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली नगरपालिका ने कुल कितनी धनराशि की मांग की है; और

(ग) इस दावे पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). १ अप्रैल, १९५२ से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक की अवधि के लिये नई दिल्ली नगरपालिका ने सरकार से ६१८.११ लाख रुपये की मांग की है । जिस आधार पर इन दावों का निर्धारण किया गया है उसकी जांच की जा रही है परन्तु इस बीच ३०५.२५ लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है । ये भुगतान उस कर पद्धति के आधार पर किया गया है जो नगरपालिका द्वारा पुनरीक्षित किये जाने से पहले लागू थी । निर्धारण के पुनरीक्षित आधार को तय करने का निर्णय शीघ्र ही हो जाने की संभावना है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दरें अन्य नगरपालिकाओं के समान हैं ?

श्री हाथी : दरें पंजाब नगरपालिका अधिनियम के अनुसार निश्चित की जाती है जो दिल्ली में लागू है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार बकाया राशि देने को तैयार है ?

श्री हाथी : प्रश्न इस समय यह नहीं है कि सरकार तैयार है या नहीं । प्रश्न जरा जटिल सा है । संविधान के अनुच्छेद २८५ के अधीन १९५० के बाद बनी हुई राज्यों में भारत सरकार की सम्पत्ति पर कर नहीं लगेगा । जब से संविधान प्रवर्तित हुआ है, १९५० तक राज्यों में जिस सम्पत्ति पर कर लगा करता था उस पर टैक्स लगाया जा रहा है । १९५० के बाद बनी सम्पत्ति कर से मुक्त है । संविधान के अनुसार भाग 'ग' राज्य 'राज्य' नहीं थे और इसलिये दिल्ली में १९५० के बाद भी सम्पत्ति पर कर लिया जाता था । तब १९५४ के भाग 'ग' राज्यों के बारे में संशोधन हुआ । उसके बाद फिर उस अधिनियम का निरसन किया गया । इसलिए प्रश्न यह है कि कौन सी सम्पत्ति अनुच्छेद २८५ के अन्तर्गत आती है और कौन सी नहीं आती । एक आधार यह है । दूसरा आधार सम्पत्ति के मूल्य का वास्तविक निर्धारण है । वह कहते हैं कि मूल्य इतना है और हम कहते हैं कि यह एफ० आर० ४५ बी के अनुसार है ।

Shri Yashpal Singh: What is the principle on which this tax is charged? Is this tax going to be recovered from the Government or deducted from the pay of Government officials living in those buildings?

श्री हाथी : कर सरकार से लिया जायेगा न कि वहां रहने वाले अधिकारियों से । यह सम्पत्ति कर है जो सरकार को देना होता है और जो सरकार पहले ही दे रही है । अधिकारियों को नहीं देना है ।

Shri Vishram Prasad : The rent of the flats of the Members of Parliament has just been forcibly recovered since April, 1962. May I know under which article of the Constitution the arrears of rent have been realised?

Mr. Speaker : It is a matter between the Municipal Committee and the Government.

श्री कपूर सिंह : सरकार नगरपालिका से भी बुरी है ।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है; मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री रामचन्थन चेट्टियार : माननीय मंत्री ने कहा है कि पंजाब नगरपालिका अधिनियम इसका आधार है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार की इमारतों का निर्धारण कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे निगमों द्वारा एकरूप आधार पर किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : राज्य द्वारा प्रत्येक इलाके पर कुछ अधिनियम लागू किये जाते हैं । पंजाब अधिनियम को दिल्ली प्रशासन ने इस क्षेत्र में लागू किया है । उसी अधिनियम के अनुसार इसे किया जा रहा है ।

श्री राम नायन चेट्टियार : मैं ने समझ-बूझ कर यह अनुपूरक प्रश्न पूछा था क्योंकि माननीय मंत्री ने १९५० के बाद बनी इमारतों का उल्लेख किया था ।

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली राज्य था या नहीं—इसमें परिवर्तन आता रहा है और वह परिवर्तन हो चुका है ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई एकरूप नीति अपनाई जाती है ?

श्री हाथी : जी नहीं; कोई एकरूप नीति नहीं हो सकती । विभिन्न राज्यों के अलग अलग कानून हैं ।

अफ्रीकी तथा एशियायी देशों को छात्रवृत्तियां

*६३४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६४–६५ के दौरान अफ्रीकी तथा एशियाई देशों को कितनी छात्रवृत्तियां देने का विचार है; और

(ख) इस के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गयी है तथा क्या ये छात्रवृत्तियां पारस्परिक आधार पर दी जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु०क० चागला) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी २५४४/६४]**

Shri Yashpal Singh : Has preference been given to people of Indian origin residing there ?

Shri M. C. Chagla : I do not know about any preference benig given but there are may people of Indian origin in Africa who come here on Scholarship.

Shri Yashpal Singh: Are those people given any facilities or concessions ?

Shri M. C. Chagla : the Scholarships are advertised and the people of African Countries as well as the Indian born people apply for them. There is a committee which decides who should be given the scholarships.

Shri Yashpal Singh : Has this concession been accorded to those countries also who have not helped us in national defence and have remained absolutely silent ?

Shri M. C. Chagla : If you look at the list you will know the countries to whom scholarships have been awarded.

Mr. Speaker : Could he give the name of any country and tell whether scholarships are being given to it or not ?

Shri Yashpal Singh : Which are the countries who have been given ?

Shri M. C. Chagla : There is no mention of China.

Mr. Speaker : If you take the name of some country and say whether scholarships have been given to it or not, that would be the proper reply.

श्री हेम बरुआ : अफ्रीकी-एशियाई देशों के जो विद्यार्थी छात्रवृत्तियों पर इस देश में उच्चतर अध्ययन पा रहे हैं उनकी आम शिकायत यह है कि यहां कोई सामाजिक जीवन नहीं है। उन्होंने इस तरह के लेख लिखे हैं। वे यह भी शिकायत करते हैं कि भारतीय लोगों में एक तरह का रंगभेद का भाव है। क्या सरकार ने इस शिकायत की जांच करवाई है और उनके लिये स्थिति सुधारने का प्रयास किया है ?

श्री मु० क० चागला : ये शिकायतें मैं ने भी सुनी हैं लेकिन मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन दिला सकता हूं कि हम इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि अफ्रीका से आने वाले विद्यार्थियों के साथ यहां भारतीय विद्यार्थियों जैसा ही बर्ताव किया जाये। दिल्ली में कई सभायें हैं और हम उन्हें आम घरों में भी भेजने की कोशिश करते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। परन्तु मैं मानता हूं कि कुछ स्थानों पर ऐसा समझा जाता है कि उनके साथ अधिक अच्छा बर्ताव होना चाहिये।

Shri Sheo Narain : How much is Government spending in this connection and is this amount being spent without any consideration of caste and creed? What are you paying to the Indians as well as non-Indians without any distinction?

Shri M. C. Chagla : These scholarships are meant not for Indians but for African and Asian countries.

श्री श्याम लाल शरर्फ : क्या मैं जान सकता हूं कि इन छात्रवृत्तियों को पाने वालों का चुनाव कौन करता है ? मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार चुनाव करती है या जहां से ये विद्यार्थी आते हैं वहां की सरकारें करती हैं।

श्री मु० क० चागला : कई समितियां हैं। एक योजना यह है कि हम विभिन्न देशों में अपने राजदूतावासों से कहें कि वे आवेदन पत्र निमंत्रित करें। जितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलनी होती है वे उससे दोगुनी संख्या भेज देते हैं और उसके बाद मंत्रालय में हम फैसला करते हैं कि किन-किन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जायें।

Shri Vishram Prasad : The statement shows that 235 scholarships have been given to 48 countries. May I know whether in return for this our students go there for studies?

Shri M. C. Chagla : Yes, Sir, they go to two countries, U.A.R. and Ceylon, where there is mutual exchange programme. But I want to add that besides these countries, non-Afro-Asian countries have given scholarships worth two crores to Indian students.

Dr. Govind Das : Is the number of scholarships being increased every year or it remains the same as it was two or three years ago?

Shri M. C. Chagla : The number was curtailed after the emergency but it is prosposed to give more this year.

श्री कपूर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस देश में रहते समय अफ्रीकी-एशियाई विद्यार्थियों के भारत तथा भारतवासियों के प्रति कटु होने के वास्तविक कारण केवल सामाजिक किस्म के हैं या राजनैतिक तथा प्रचारात्मक भी हैं; यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मैं ने कहा, हमारे यहां कई सभायें हैं। हम अफ्रीकी विद्यार्थियों को भारतीय दृष्टिकोण समझाने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें समाज में अच्छा स्थान देते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत में आने वाले अफ्रीकी विद्यार्थियों को यहां घर का सा वातावरण मिले।

श्रीमती सावित्री निगम : संख्या किस आधार पर निश्चित की जाती है। कीनिया जैसे देशों के लिए संख्या १६ है जबकि फिलिपाइन्स जैसे देशों के लिए केवल १ है।

श्री मु० क० चागला : कुछ तो देश का महत्व देखते हुए और कुछ इस बात का ध्यान रखते हुए कि भारतीय उद्भव के कितने लोग वहां हैं जो इन छात्रवृत्तियों से लाभ उठा सकते हैं। अनेक बातों का ध्यान रखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री कपूर सिंह : मेरे प्रश्न की मुख्य बात को समझा नहीं गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब तो वक्त गुजर गया है।

पेट्रो-केमिकल उद्योग

\+

*६३५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री महेश्वर नायक :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मान सिंह : पृ० पटेल :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पैट्रो-केमिकल उद्योग के विकास के लिए किसी कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम में गुजरात के तेल क्षेत्र तथा बरौनी तेल शोधक कारखाना भी सम्मिलित है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अलगेशन) : (क) जी, हां।

(ख) अगले पांच वर्षों में बम्बई, गुजरात और बरौनी में तीन पेट्रो-केमिकल समुदाय विकसित करने का प्रस्ताव है। बम्बई तथा गुजरात के समुदाय एकीकृत होंगे तथा नैफ्था विस्फोटकों पर आधारित होंगे और वे प्लास्टिक, संश्लिष्ट रबड़ इत्यादि जैसे कई तरह की वस्तुयें बनायेंगे। बरौनी समुदाय में इस समय केवल सुरभित द्रव्य (बेनजीन तथा जाइलीन) बनाने का विचार है। इसके अतिरिक्त, हल्दिया तथा दक्षिण भारत में पेट्रो-केमिकल समुदाय स्थापित करने के प्रस्तावों पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

(ग) वर्तमान योजनाओं में गुजरात की प्राकृतिक गैस, परिष्करण गैस तथा नैफ्था और बरौनी तेल शोधक कारखाने की परिष्करण गैस तथा नैफ्था के उपयोग का उपबन्ध है।

श्री दी० चं० शर्मा : किसी विशेष राज्य या प्रदेश में पेट्रो-केमिकल औद्योगिक समुदायों की स्थापना करने की कसौटी क्या है तथा माननीय मंत्री ने जिन स्थानों का नाम लिया है क्या वे सब इस कसौटी को पूरा करते हैं ?

श्री अलगेशन : जी, हां। मोटे तौर पर कसौटी यह है कि वहां तेल शोधक कारखाना हो। बम्बई में गैर-सरकारी क्षेत्र में दो तेल शोधक कारखाने हैं। कोयली में एक बनने वाला है। बरौनी में तैयार हो रहा हैं। मोटी कसौटी यही है। जैसा कि अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया था, दो समितियों ने पेट्रो-केमिकल समुदायों की स्थापना के प्रश्न की जांच की और उन्होंने इन पांच स्थानों की सिफारिश की है। सभी पांच स्थान इस कसौटी पर पूरे उतरते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : पेट्रो-केमिकल उद्योगों के उत्पादों के आयात पर कितना व्यय किया जाता है और भारत कब तक आत्म-निर्भर हो जायगा ताकि हमें अन्य देशों से आयात न करना पड़े ?

श्री अलगेशन : अनुमान लगाया गया है कि १९६५–६६ तक पेट्रो-केमिकल उत्पादों के आयात का मूल्य लगभग ५० करोड़ रु० प्रतिवर्ष होगा और १९७०–७१ तक १४० करोड़ रु० प्रति वर्ष। इसलिए जब तक इन पेट्रो-केमिकल समुदायों की स्थापना नहीं होगी और हम स्वयं इन उत्पादों का उत्पादन नहीं करेंगे, इतनी विदेशी मुद्रा तो खर्च करनी ही पड़ेगी। पेट्रो-केमिकल समुदायों की स्थापना कर के हम लगभग इतनी विदेशी मुद्रा तो बचा ही लेंगे।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार विदेशी पूंजी तथा भारतीय पूंजी के बराबर बराबर लगाये जाने के पक्ष में है ?

श्री अलगेशन : इस का निर्णय किया जाना है। हमें विदेशी सहयोग तथा विदेशी पूंजी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। भारतीय पूंजी को भी नियंत्रित किया जायगा। इस तरह के सभी प्रश्न विचाराधीन हैं।

श्री राम चन्द्र उलाका : १९६० में जिन यूनिटों की मंजूरी दी गई थी उनमें से कितने स्थापित हो चुके हैं और प्रत्येक यूनिट की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

श्री अलगेशन : बम्बई में दो यूनिटों को लाइसेंस दिए गए और तीसरे के लिये "लैटर्स आफ़ इंटेंट' जारी कर दिया गया है। दो या तीन यूनिट और हैं जिन के बारे में सोचा जा रहा है कि उन्हें 'लेटर्स आफ़ इंटेंट' भेजे जायें या नहीं। वतमान स्थिति इस प्रकार है।

श्री मान सिंह पृ० पटेल : मध्य वर्ग के उन उद्योगपतियों को ऋण के रूप में किस प्रकार की सहायता दिये जाने की संभावना है जो गुजरात में कोयली तेलशोधक कारखाने के समीप इस समुदाय में कतिपय उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं ?

श्री अलगेशन : वास्तविक प्रस्तावों के बाद इस पर विचार होगा ।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने बताया है कि केवल तीन पेट्रो-केमिकल समुदाय आरम्भ किये जायेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना में गौहाटी तेलशोधक कारखानों को क्यों नहीं रखा गया है ?

श्री अलगेशन : गौहाटी तेलशोधक कारखाने की उपेक्षा करने का कोई प्रश्न नहीं है । संभव है कि हम वहां भी कुछ उत्पादन तैयार करने का निर्णय कर लें ।

श्री स० चं० सामन्त : किन गैर-सरकारी कम्पनियों ने नैफ्था और अन्य चीजों के लिये सरकार से कहा है ?

श्री अलगेशन : जैसाकि मैंने बताया, दो निजी पक्षों को लाइसेंस दिए जा चुके हैं । वे हैं मैसर्स यूनियन कार्बाइड (इंण्डिया) लि० और मैसर्स हरडीलिया केमिकल्स । मैसर्स नैशनल आर्गेनिक केमिकल इण्डस्ट्रीज़ लि० को अभिप्राय पत्र भेज दिया गया है ।

श्री रा० बरुआ : पेट्रो-केमिकल समुदायों के कितने परियोजना प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया है तथा कितने स्वीकार किये जाने हैं या विचाराधीन हैं ?

श्री अलगेशन : केवल दो को लाइसेंस दिए गए हैं । वस्तुत: एक कार्यकारी दल गुजरात पेट्रो-केमिकल समुदाय के बारे में सारे पहलुओं की जांच कर रहा है ।

Shri Yashpal Singh : According to the Government's report, only 10 per cent of our requirements are being met. What is the extent to which our requirements would be met when this work is completed?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर): पेट्रो-केमिकल्स के बारे में कोई निश्चित उत्तर देना बड़ा कठिन है क्योंकि इस क्षेत्र का सतत विस्तार हो रहा है । बहुत सी ऐसी चीजें जो पहले अन्य साधनों से बनाई जाती थीं अब पेट्रो-केमिकल के माध्यम से बनाई जा रही हैं । इस लिये मैं समझता हूं कि इस प्रश्न के बारे में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

श्री अ० प्र० शर्मा : बरौनी में उत्पादन आरम्भ होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या श्रमिको की गड़बड़ इस का एक कारण है तथा क्या सरकार इस बात का पता लगा पाई है कि इस गड़बड़ के लिये कोन लोग उत्तरदायी हैं ?

डा० रानेन सेन : इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।

श्री अलगेशव जी हां ; श्रमिकों की कुछ गड़बड़ है । सौभाग्यवश, वह सब अब तय हो गया है और हम अनुसूचित तिथि के अनुसार तेलशोधक कारखाना बनाने जा रहे हैं । जैसीकि पहले घोषणा कीं जा चुकी है, यह अप्रैल या मई में कभी आरम्भ हो जायगा ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या पेट्रो-केमिकल उद्योग की स्थापना में कच्चे माल के निकट ही उपलब्ध होने का ध्यान रखा जाता है या अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है जैसे कि देश में अन्यत्र औद्योगिक प्रगति का पिछड़ापन ?

श्री अलगेशन : मुख्य बात तेलशोधक कारखानों के आस-पास कच्चे माल की उपलब्धता है। इसका मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है ।

खम्भात तेल क्षेत्र

*६३६. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खम्भात तेल क्षेत्र में अधिकांशतया गैस का ही उत्पादन होगा ;

(ख) यदि हां, तो इसका कितना उत्पादन होगा तथा इसका कहां उपयोग किया जायगा ; और

(ग) क्या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जनता को गैस का संभरण करने के लिए कोई योजना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) प्राकृतिक गैस के क्षेत्र-वार उत्पादन की जानकारी "प्रतिबन्धित जानकारी" है । गैस घुवारन बिजली घर को दी जायेगी ।

(ग) शीघ्र तो नहीं ।

Shri Vishram Prasad : I want to know whether the citizens of Gujarat had approached the Government that they should be supplied gas for industrial and home consumptions. If gas is to be supplied, what rates are going to be charged.

Shri Humayun Kabir : It has been discussed in the Parliament day before yesterday. I had given the up-to-date position regarding Gujarat. If the hon. Member goes through the proceedings, he will know everything.

Shri Vishram Prasad : Is it a fact that the rate charged from the people of Gujarat is Rs. 90 while in Barauni gas is supplied very cheap ; if so, why higher rate is charged there?

Shri Humayun Kabir : As I have said just now, all this formed part of the discussion. Now this question is before the arbitrator. Whatever award is given, we shall accept.

श्री कपूर सिंह : मैं यह जानने के लिये व्यग्र हूं कि क्या देश में लोगों को घरेलू इस्तेमाल के लिये सस्ती तथा प्रचुर मात्रा में गैस देने की कोई संभावना है ।

श्री हुमायून कबिर : यह इस प्रश्न से तो उत्पन्न नहीं होता परन्तु उत्तर 'हां' में है । हम तरल पेट्रोलियम गैस का संभरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं क्या उसके लिये बरौनी में एक ऐसा संयंत्र स्थापित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं जहां इसे बोतलों में बन्द किया जायेगा ।

श्री कपूर सिंह : यह इसी प्रश्न से उत्पन्न होता है ।

अध्यक्ष महोदय : जब इसका उत्तर दे दिया गया है तो इसकी क्या जरूरत है ?

श्री कपूर सिंह : मैं माननीय मंत्री के कथन के पहले भाग को ठीक करना चाहता हूं

श्री हेम बरुआ : खम्भात की संसद् में बड़े उत्साह से घोषणा की गई थी और कहा गया था कि यह एक प्रमुख तेल क्षेत्र है। अब यह गैस क्षेत्र हो गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार अब इसे क्या कहती है, गैस क्षेत्र या तेल क्षेत्र ?

श्री हुमायून कबिर : मुख्यतः यह गैस क्षेत्र है परन्तु मेरे माननीय मित्र को पता होना चाहिये कि जहां कहीं तेल होता है वहां कुछ गैस भी होती है और जिस जगह गैस होती है वहां थोड़ा तेल भी होता है।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह नहीं था। मैंने कहा था कि जब संसद् में पहले-पहल घोषणा की गई थी तो बड़े उत्साह के साथ इसे तेल क्षेत्र बताया गया था।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इसे कोई भी नाम दे सकते हैं ?

श्री दे० जी० नायक : क्या मैं जान सकता हूं कि उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों को गैस का संभरण करने के लिये क्या पूर्ववर्तिता तय की गई है ?

श्री हुमायून कबिर : यह प्रश्न हमने मध्यस्थ को सौंप दिया है। परन्तु प्रस्तावित क्रम इस प्रकार है : प्रथम पूर्ववर्तिता विद्युत् जनन के लिये होनी चाहिये, दूसरी उर्वरकों के लिये, तीसरी राज्य योजनाओं के लिये, चौथी अन्य उद्योगों के लिये तथा अन्त में घरेलू इस्तेमाल के लिये।

श्री जसवन्त मेहता : इस मध्यस्थ निर्णय के निर्देशपद क्या हैं और प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

श्री हुमायून कबिर : पद तो प्राकृतिक और सम्बद्ध गैसों के मूल्य तय करना हैं और पूर्ववर्तिता का क्रम मैंने बता दिया है। प्रतिवेदन का दिया जाना मध्यस्थ पर निर्भर करता है और हमने उनसे प्रार्थना की है कि जितनी जल्दी हो सके प्रतिवेदन दे दें।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या लोगों को गैस संभरण की दरों का निर्धारण करते उमय गुजरात तक कोयला ले जाने के खर्च को भी ध्यान में रखा गया है ?

श्री हुमायून कबिर : मुझे विश्वास है कि मध्यस्थ जोकि बहुत ही विख्यात अर्थशास्त्री हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे।

तकनीकी शिक्षा

\+

*६३८. { **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तकनीकी शिक्षा के योजनाबद्ध विकास की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) किस अभिकरण के द्वारा इस में सुधार, समन्वय तथा मार्गदर्शन किया जाता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख) तृतीय योजना की तकनीकी शिक्षा की मुख्य बातें ये हैं : १९६५-६६ तक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (टेक्नोलोजी) में स्नातक

पाठ्यक्रमों के दाखलों को बढ़ा कर २५,००० करना और डिपलोमा पाठ्यक्रमों के लिये ५०,००० करना ; कम से कम लगभग २,००० विद्यार्थियों के लिये स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान के लिये सुविधाओं का विकास करना ; ढलाई और गढ़ाई सम्बन्धी प्रौद्योगिकी, प्रबन्धक अध्ययनों, मुद्रण प्रौद्योगिकी, औद्योगिक इंजीनियरिंग आदि के लिये विशेष तकनीकी संस्थान स्थापित करना; तकनीकी अध्यापकों को प्रशिक्षण देना ; अध्यापकों के वेतन मानों को सुधारना ; १४–१७ वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के लिये जूनियर तकनीकी स्कूल स्थापित करना और तकनीकी अध्ययनों, अनुसंधान छात्रवृत्तियों और शिक्षावृत्तियों के लिये छात्रवृत्तियां देना ।

(ग) तकनीकी शिक्षा की विकास और समन्वय की पूर्ण योजना तकनीकी शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् द्वारा चलाई जा रही है ।

Shri Sidheshwar Prasad : Has Government's attention been drawn to the fact that very few Junior Technical Schools have been opened in certain States under the Third Plan and if so, what steps Government propose to take for opening more technical schools in such States ?

Shri M. C. Chagla : Seventy-five schools have already been opened and another seventy-five are proposed to be opened in the next one or two years.

Shri Sidheshwar Prasad : Does agricultural and Veterinary education come within the amit of technical education ? If so what steps have Government taken in this direction. Has the Government's attention been drawn to the fact that the number of students receiving agricultural and Veterinary education in the country is very less ? If so, what steps are being taken by Government to attract students towards these faculties ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक कृषि और पशुपालन का सम्बन्ध है, हमारे देहाती संस्थान हैं जिनका प्रबन्ध विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है । ये सही रूप से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आते ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मन्त्री इस बात से अवगत हैं कि बहुत से जूनियर टैक्निकल स्कूलों में यह पुरानी शिकायत है कि उपकरण उपलब्ध नहीं होते ? शिक्षा मन्त्रालय इन स्कूलों को उपकरण देने के लिये क्या उपाय कर रहा है ?

श्री मु० क० चागला : मुझे इस बात का खेद है कि हमारे बहुत से स्कूलों में उपकरण ऐसे नहीं हैं जैसे कि होने चाहियें । परन्तु हम इन सस्थानों में अच्छे से अच्छे उपकरण उपलब्ध करने का यत्न कर रहे हैं ।

Dr. Gobind Das : Is the hon. Minister aware that the specialists like Dr. Kothari have said that our technical education is not progressing for the reasons that literature relating to that is not available in Indian languages ? Is any scheme being formulated to the effect that literature for technical education be got prepared in Indian languages ?

Shri M. C. Chagla : We have got nomenclature Commission which is evolving Hindi terminology and producing Hindi Text Books. The idea is that the nomenclature in use should be the same throughout the country.

Shri Sheo Narain : How many of Seventy-five schools for technical education have been opened in Uttar Pradesh ?

श्री मु० क० चागला : मेरे पास इस समय राज्यवार आंकड़े नहीं हैं ।

श्री पु० र० पटेल : मैं समझता हूं कि जूनियर टैक्निकल स्कूलों का आवर्ती और अनावर्ती व्यय केन्द्रीय सरकार सहन करती है । गुजरात में ऐसे कितने स्कूल खोले गये हैं ?

श्री मु० क० चागला : मुझे खेद है कि मेरे पास राज्यवार विवरण नहीं है, यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं आंकड़े दे सकता हूं ।

Shri Jagdev Singh Sidhanti : Isit contemplated to extend this scheme to rural areas ? Are the people of rural areas also proposed to be educated under this scheme ?

श्री मु० क० चागला : जी हां । हम अधिक से अधिक जूनियर टैक्निकल स्कूल खोलना चाहते हैं ताकि ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में आठवीं श्रेणी के बाद विद्यार्थी उनका लाभ उठा सकें ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether for encouraging the technical education the number of some scholarships has been in creased ?

श्री मु० क० चागला : हम जूनियर टैक्निकल स्कूलों, पालीटैक्निक स्कूलों और इंजीनियरिंग कालिजों के लिये छात्रवृत्तियां दे रहे हैं । एक परियोजना है जो छात्रवृत्तियां देती हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : Has the number of scholarships been increased ?

श्री मु० क० चागला : हम संख्या बढ़ा रहे हैं ।

श्री रंगा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक संस्थाओं और उपक्रमों में और सैनिक फार्मों में और सामान्य प्रक्रिया के उपक्रमों में उपलब्ध तकनीकी शिक्षा की इन सुविधाओं का समन्वय करने और इन सभी उपकरणों का प्रयोग करने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है ताकि सुविधायें अधिकाधिक बढ़ायी जा सकें और अधिकाधिक संख्या में लोग प्रशिक्षित किये जा सकें और उपलब्ध उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके ?

श्री मु० क० चागला : भारत में हमारी ४ प्रादेशिक समितियां हैं, और प्रत्येक प्रादेशिक समिति का तकनीकी और इंजीनियरिंग संस्थानों से सम्बन्ध है, और वे समितियां इस बात का पता लगाती हैं कि उन संस्थानों को क्या चाहिये, उनको और क्या उपकरण चाहिये आदि, और वे समितियां मन्त्रालय को इस बात की सूचना देती है, और मन्त्रालय इस बात का पूर्ण यत्न करता है कि उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया जाता है ।

विश्व विद्यालयों में प्रादेशिक भाषायें

*६३९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन विश्वविद्यालयों ने प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बना लिया है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए, यदि कोई विशेष सहायता दी गई है, तो वह क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी अथवा अन्य प्रादेशिक भाषाएं कुछ पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं :

१. आगरा, २. इलाहाबाद, ३. अन्नामलाई, ४. बनारस, ५. भागलपुर, ६. बिहार, ७. बर्दवान, ८. दिल्ली, ९. गोरखपुर, १०. गुजरात, ११. जबलपुर, १२. जादवपुर, १३. जोधपुर, १४. कर्नाटक, १५. के० एस० दरभंगा, १६. लखनऊ, १७. मद्रास, १८. मगध, १९. मैसूर, २०. नागपुर, २१. उत्तरी बंगाल, २२. उसमानिया, २३. पंजाब, २४. पंजाबी, २५. पटना, २६. पूना, २७. रवीन्द्र भारती, २८. राजस्थान, २९. रांची, ३०. सरदार वल्लभ भाई विद्यापीठ, ३१. सोगर, ३२. शिवाजी, ३३. एस० एन० डी० टी० वीमेन्स, ३४. विक्रम और ३५. विश्व भारती।

इनके अतिरिक्त वारानसया संस्कृत विश्वविद्यालय ने हिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया है और इन्द्र कला संगीत विश्वविद्यालय ने केवल हिन्दी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया है।

(ख) हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को तैयार करने, अनुवाद करने और प्रकाशित करने की अपनी योजना के अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालय राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और प्रकाशकों को वित्तीय, तकनीकी और मन्त्रणा सम्बन्धी सहायता देता है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : समाचार पत्रों के समाचार से यह प्रतीत होता है कि नये शिक्षा मन्त्री ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जो रुख अपनाया है वह बहुत धीमा है। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक रुख क्या है और उस पर विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मु० क० चागला : मेरे माननीय मित्र मेरे सम्बन्ध में कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो सही नहीं हैं। मैंने कोई क्या रुख नहीं अपनाया है। मैं तो केवल उस नीति की क्रियान्विति कर रहा हूं जो मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन, शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलनों और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन द्वारा रखी गई है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं जान सकता हूं कि एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में छात्रों और अध्यापकों के खुले रूप से आने जाने को सुनिश्चित करने के लिये मन्त्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री मु० क० चागला : यह शिक्षा के माध्यम की समस्याओं में से एक है। यदि एक विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में नहीं जा सकता तो मैं इसे एक बहुत गम्भीर बात समझता हूं।

श्री रंगा : इसलिए आपको अंग्रेजी को माध्यम रखना चाहिये।

श्री मु० क० चागला : भाषा समस्या की अनेक जटिलताओं में से एक यह भी है कि विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय से दूसरे में जा सकें।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मन्त्री का क्या रुख है ?

श्री मु० क० चागला : मुझे आशा है कि जब अंग्रेजी को हटा दिया जायेगा तो हिन्दी उसका स्थान ले लेगी। विश्वविद्यालयों में एक सामान्य भाषा होनी चाहिये जिससे कि एक विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जा सके। हमारे तकनीकी और प्रोद्यौगिकी संस्थानों में विद्यार्थी एक संस्था से दूसरी संस्था में जा सकते हैं। अखिल भारतीय परीक्षाएं होती हैं, परन्तु विश्वविद्यालयों की समस्या अधिक कठिन बनती जा रही है।

श्रीमती अकम्मा देवी : विश्वविद्यालयों द्वारा प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने से जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे हमारा शिक्षा का स्तर सुधरा है अथवा गिरा है ?

श्री मु० क० चागला : कुछ मामलों में स्तर गिरा है और इसका स्पष्ट कारण यह है कि यदि आप अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम रखते हैं और यदि आप अंग्रेजी का स्तर गिराते हैं तो विद्यार्थी पाठ को ठीक प्रकार समझ नहीं सकते। अध्यापकों और प्रोफेसरों ने मुझे बताया है कि जब वे लेक्चर देते हैं तो विद्यार्थी उनको ग्रहण करना कठिन समझते हैं क्योंकि वे भाषा को ठीक प्रकार नहीं समझ सकते। यही कारण है कि मैं अंग्रेजी के स्तर को सुधारने पर जोर देता रहा हूं, इसलिये नहीं कि मैं पूर्णतया हिन्दी का समर्थन नहीं करता परन्तु इसलिये कि मैं अनुभव करता हूं कि उच्चतर शिक्षा के स्तर गिरते जा रहे हैं।

डा० रानेन सेन : तीन भाषा सूत्र के अनुसार सरकार ने हिन्दी को छोड़ कर एक वर्तमान भारतीय भाषा को हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों में अनिवार्य बनाने का निर्णय किया था। उस सम्बन्ध में क्या प्रगति है।

श्री रंगा : कुछ नहीं।

श्री मु० क० चागला : हाल ही में मद्रास के मुख्य मन्त्री ने मुझे बताया कि यद्यपि उन्होंने मद्रास के स्कूलों में हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य नहीं बनाया था फिर भी मद्रासी स्कूलों में ८५ प्रतिशत विद्यार्थी हिन्दी पढ़ रहे हैं।

डा० रानेन सेन : मेरा यह प्रश्न नहीं था। मैंने तो हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के बारे में पूछा था।

श्री मु० क० चागला : मैंने हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों से अपील की है कि वे इस नीति का निष्ठा-पूर्वक पालन करें। यदि दक्षिण के लोग हिन्दी सीखने को तैयार हैं तो हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों को भी दक्षिण भारत की भाषाएं पढ़नी चाहियें।

श्री ही० ना० मुकर्जी : विश्वविद्यालय के लिये भारतीय भाषाओं में मूल रूप से लिखी हुई अथवा अनुवादित पुस्तकें तैयार करने का मामला काफी समय से कष्ट पैदा कर रहा है। क्या इस सम्बन्ध में कुछ किया गया है ?

श्री मु० क० चागला : हमने ३०० पुस्तकों की सूची तैयार की है जिनका हिन्दी में अनुवाद किया गया है। यह संख्या बढ़ा कर ४५३ कर दी गई है। कुछ पुस्तकें प्रकाशित कर दी गई हैं। अन्य पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य चल रहा है।

जहां तक अन्य भारतीय भाषाओं का सम्बन्ध है हम विश्वविद्यालयों और राज्यों को सहायता दे रहे हैं। गुजरात ने दवाइयों और अन्य विषयों पर गुजराती में ३६ मूल पुस्तकें तैयार करने का वचन दिया है; हम ५० प्रतिशत सहायता दे रहे हैं। नागपुर विश्वविद्यालय १४ पुस्तकें मराठी में अनुवाद कर रहा है; उसे भी हम सहायता दे रहे हैं। विश्वभारती से अनुरोध किया गया है कि वह

सरकार की उन पुस्तकों और शिलालेखों का उरिया में अनुवाद करें जिनका भारतीय इतिहास और संस्कृति में बड़ा महत्व है। अतः हम सभी सम्भव सहायता दे रहे हैं।

श्री रंगा : अन्य भाषाओं के बारे में स्थिति क्या है ?

Dr. Govind Das : So far as the Governments' policy is concerned in this regard, it has been clarified on a number of occasions. Will the hon. Minister not admit that the progress being made in this regard is very slow? The main reason for this is that we have not got the literature. Do the Central Government propose to make some such arrangements as would enable t em to obtain the services of some persons from the Universities who would produce such literature ?

Shri M. C. Chagla : The main difficulty is that the literature is not available. The Ministry is doing its best for the production and translation of such literature.

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या माननीय मंत्री ने विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाओं के लागू करने के सम्बध में मद्रास में दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों द्वारा बताये गये दृष्टिकोण पर विचार कर लिया है ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां। जब मैं पिछले सप्ताह मद्रास गया था तो मैं ने सभी दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के साथ बातचीत की थी।

श्री कपूर सिंह : जब डा० रानेन सेन ने हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी को छोड़ कर अन्य भारतीय भाषाओं के बढ़ावे के बारे में प्रश्न पूछा तो माननीय मंत्री ने सम्पर्क-भाषा 'हिन्दी' के सम्बन्ध में कुछ कहा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के साथ साथ अन्तर्भाषा सम्पर्क को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भी कोई निश्चित कार्यवाही की जा रही है।

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मैं ने बताया, यह या तो अंग्रजी होनी चाहिये या हिन्दी।

अध्यक्ष महोदय : वह सम्पर्क भाषा की बात नहीं कर रहे हैं। वह तो अन्य भाषाओं में परस्पर सम्पर्क की बात कर रहे हैं।

श्री मु० क० चागला : हम भारतीय भाषाओं का पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। हम उनका हिन्दी में भी अनुवाद कर रहे हैं और यह देख रहे हैं कि हमारे एक भाग के लोग दूसरे भाग के लोगों के साहित्य को समझें।

Shri Ram Sewak Yadav : I would like to know if there is any such University in India where medium of instruction has been changed over from mother tongue to English ?

Shri M. C. Chagla : None.

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, it is Hyderabad University.

Mr. Speaker : If he knows what the Minister does not know, why is he puting that question ?

Shri Ram Sewak Yadav : Because the controversy over Hindi and other languages is raised deliberately....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यहां मंत्री अपराधी के कटघरे में खड़े नहीं होते हैं कि उनकी जांच पड़ताल की जा सके । उन्होंने सूचना मांगी, वह दे दी गई । अब वह तर्क कर रहे हैं यह ठीक नहीं है । ऐसा वह किसी अन्य अवसर पर भी कर सकते थे ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : सभा-पटल पर जो विवरण रखा गया है उससे प्रतीत होता है कि 'इन्द्रा कला संगीत विश्वविद्यालय' को छोड़ कर, जिसने कि केवल हिन्दी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया है, किसी अन्य विश्वविद्यालय ने हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषाओं को पूर्णतया शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया है । प्रादेशिक भाषा अथवा हिन्दी कुछ विषयों के लिये शिक्षा का केवल वैकल्पिक माध्यम है । शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम का क्या अर्थ है ? क्या उन विषयों को, जिनको प्रादेशिक भाषा अथवा हिन्दी में पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी में भी पढ़ाया जाता है ?

श्री मु० क० चागला : शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम से तात्पर्य वही है जो इन शब्दों से निकलता है । एक विद्यार्थी को अंग्रेजी अथवा प्रादेशिक भाषा के प्रश्नों के उत्तर लिखने का हक है । मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि जिन विषयों में विद्यार्थियों को विकल्प दिया जाता है, क्या उनमें लेक्चर भी प्रादेशिक भाषाओं में दिये जाते हैं । बहुत से मामलों में नहीं । जहां तक मैं जानता हूं, लेक्चर अभी भी अंग्रेजी में ही दिये जाते हैं, परन्तु विद्यार्थी को यह विकल्प दिया जाता है कि वह अपना परचा प्रादेशिक भाषा अथवा अंग्रेजी में लिख सकता है ।

श्रीमती सावित्री निगम : जब कि शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री का यह ख्याल है कि छात्रों में गतिशीलता काफी अच्छी है, मैं जानना चाहूंगी कि क्या वह इस बात से अवगत हैं कि विश्वविद्यालय अभी इस गतिशीलता को अच्छा नहीं समझते, और यदि हां तो . . . .

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है ।

श्री मु० क० चागला : हम इस प्रवत्ति को दूर करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

निजी थैलियां

+

*६४०. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री इ० मधुसूदन राव : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व राजाओं तथा शासकों की निजी थैलियां तथा विशेषाधिकार समाप्त करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). राजाओं को निजी थैलियों की अदायगी और उनके वर्तमान व्यक्तिगत विशेषाधिकारों को जारी रखने के लिए संविधान में कहा गया है। उन्हें समाप्त करने के लिए संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत करने की अभी फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार को सारे भारत की लोकतंत्रीय संस्थाओं से ऐसे कोई पत्र मिलते रहे हैं कि भूतपूर्व राजाओं और शासकों को दी गयी निजी थैलियां और विशेषाधिकार अधिक सामन्तवादी हैं और इसलिए वे समाप्त कर दिये जाने चाहियें ?

श्री हाथी : लोकतंत्रीय संस्थाओं या औरों से सरकार के अभ्यावेदन प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है। सरकार खुद महसूस करती है कि कुछ समय में इसे कम करना होगा और वह वास्तव में कम किया जा रहा है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार को बताया गया है कि भूतपूर्व राजाओं और शासको को फौजदारी और दीवानी कार्रवाई से जो छूट दी जाती है, वह अलोकतंत्रीय और असंवैधानिक है और इस तरह एक नये ढंग की नागरिकता पैदा हो रही है जसकी भारत के संविधान में कोई कल्पना नहीं है ?

श्री हाथी : सरकार को नहीं बताया गया है लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय के अभी हाल के फैसले के बारे में जानकारी है जिसमें मुख्य न्यायाधीश गजेन्द्र गडकर ने इन विशेषाधिकारों का उल्लेख किया है। उन्होंने इसे असंवैधानिक तो नहीं कहा लेकिन यह कहा कि कुछ समय बाद सरकार को इस पर विचार करना होगा। सरकार इस पर विचार कर रही है।

Shri M. L. Dwivedi : How far is it true that ex-rulers did not show much enthusiasm in contributing to the National Defence Fund and their National activities ? Is there any proposal to make any reduction in their privy purses. What percentage they have contributed to National Defence Fund ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has said that there is no such proposal.

Shri M. L. Dwivedi : If it has not been done so far, is it under consideration ? How much they have contributed to Defence Fund ?

श्री हाथी : वह व्यक्तिगत शासकों पर निर्भर है। मेरे पास ठीक ठीक आंकड़े नहीं हैं कि किसने कितना दिया।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह विचाराधीन है ?

श्री हाथी : जिन शासकों की निजी थैली १० लाख रुपये से ऊपर निश्चित की गयी है उनके बारे में यह व्यवस्था है कि उस शासक की मृत्यु के बाद वह कम कर दी जायगी। दूसरे कई मामलों में भी वर्तमान शासकों की निजी थैलियां कम कर दी गयी हैं। हम ने यह रकम अब ६१ लाख रुपये कम कर दी है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि कुछ शासकों ने अपनी इच्छा से ही अपनी कुछ उपलब्धियां दे देने का निश्चय किया है और यदि हां, तो कुल रकम कितनी है ?

श्री हाथी : मैंने बताया है कि संकटकाल में कुछ ने ऐसा किया है। मेरे पास नाम या ठीक ठीक आंकड़े नहीं हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : संकटकाल में प्रधान मंत्री की अपील पर राजाओं की अपने विशेषाधिकारों या निजी थैलियों में स्वेच्छापूर्वक कटौती के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्री हाथी : विशषाधिकार के बारे में हम ने कुछ नहीं कहा है । कुछ ने अपनी निजी थैलियां कम कर दी हैं या व अंशदान दे रहे हैं । मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : इस संकटकाल में निजाम को कितनी निजी थैली प्राप्त हुई और उसके नये वारिस को कितनी मिलेगी ?

श्री हाथी : भविष्य की निजी थैली के बारे में मैं जानकारी नहीं दे सकता ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या निजी थैलियां स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के वचन के अनुरूप जारी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई जानकारी नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : गृह मंत्रालय ने अपने प्रशासन को सुधारने के लिए और इन आवेदनपत्रों को जल्दी से निबटाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्री हाथी : वह देर के सवाल के बारे में नहीं था । माननीय मुख्य न्यायाधीश ने १९४८ से पहले शासक के कार्य और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी के बारे में कहा था सुझाव मंजूरी दिये जाने के सम्बन्ध में था और हम छानबीन कर रहे हैं ।

Shri Kashiram Gupta : When the privy purse of ex-rulers was fixed they did not work in the field of politics. Is there any proposal with Government that at least income tax be levied on their privy purse ?

श्री हाथी : वह संविधान के अनुसार आयकर मुक्त है ।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister just stated that there was no proposal to stop pension and other facilities being given to ex-rulers. I would like to know whether it is against the socialistic pattern of society to stop their pensions and other facilities.

Shri Hathi : As I have just stated there is no question of stopping it but we are gradually reducing it and we propose to stop it.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या राजाओं की भावी पीढ़ी के लिए निजी थैलियां देने या कम करने के लिए कोई निश्चित कसौटी निर्धारित की गयी है ?

श्री हाथी : जी नहीं । कसौटी यह है कि १० लाख रुपये या उससे अधिक पाने वाले शासक के मामले में उसे कम कर दिया जायगा । १० या १५ अन्य मामलों में, करार में उसका उल्लेख किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वे किसी सुलभ प्रलेखों में दिये हुए हैं ?

श्री हाथी : जी, हां । व्यक्तिगत शासकों के साथ सभी करार किये गये हैं । कुछ मामलों में यह व्यवस्था की गयी है कि वह घटा दिया जाये । १० लाख रुपये से अधिक की निजी थैलियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है । कुछ मामलों में १० लाख रुपये से अधिक का भी उल्लेख किया गया है । दूसरे मामलों में भी हम व्यक्तिगत आधार पर उसे कर रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या दुनिया में ऐसा कोई देश है जिसकी सरकार लोकतंत्र और समाजवाद की दुहाई देते हुए कुछ थोड़े से लोगों को ऐसे विशेषाधिकार या निजी थैलियां देती है और इस प्रकार आय की असमानता को बढ़ाती है जो लोकतंत्र और समाजवाद की कल्पना और व्यवहार के बिलकुल प्रतिकूल है ?

श्री हाथी : प्रत्येक देश का इतिहास अलग अलग है । मैं नहीं समझता कि कहीं भी इसकी मिसाल है। १९३५ के अधिनियम के अधीन ३५ रु० सालाना आय वाले शासक को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक समझा जाता था । ५१४ राज्यों के शासकों को अपने अपने क्षेत्रों में संपूर्ण अधिकार प्राप्त थे । ब्रिटिश शासन के अधीन १९३५ के अधिनियम के अधीन यह स्थिति थी ।

Shri Rameshwaranand : Will the amount now being given to ex-rulers for their subsistence be given to them alone or would it be given to their children as well ?

Shri Hathi : Their children would also be given but a lesser amount.

Shri Kachhvaiya : Will such of the ex-rulers as have become ministers in various States continue to draw this amount ?

श्री हाथी : उसका करारों और संधियों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ

\+

*६४२. { **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संघों तथा संस्थाओं को मान्यता देने के लिये नये नियम बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ये नियम कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से बनाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). संयुक्त परामर्श और अनिवार्य मध्यस्थ-निर्णय योजना के सीमित प्रयोजन के लिए संघों/संस्थाओं की मान्यता के लिए प्रारूप आदेश बनाये गये हैं और मंत्रालयों को भेज दिये गये हैं । साथ उनसे यह भी प्रार्थना की गयी है कि वे उन्हें संबंधित संघों/संस्थाओं के पास भेज दें जिनके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करना वे जरूरी समझते हैं । उन आदेशों की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी० २५४५/६४]** ये आदेश अन्य प्रयोजनों के लिए लागू किये जायें या नहीं इस पर विचार हो रहा है ।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : सरकार की राय के मुताबिक विभिन्न मंत्रालय विभिन्न सेवा संघों या कर्मचारी संघों से जब जानकारी या राय प्राप्त कर सकेंगे और तब आवश्यक परिवर्तनों के बाद अन्तिम रूप से ये नियम निर्धारित कर सकेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : ये हिदायतें १३ जनवरी को तैयार की गयी थीं और मैं समझता हूं कि वे २० तारीख तक संघों के पास पहुंच गयी होंगी। सचिवालय से भी १४ में से १ संघ से उत्तर प्राप्त हुआ है। हम चाहते हैं कि वे जल्दी से जल्दी तय कर दी जायें।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या सरकार का ध्यान प्रारूप नियम (घ) और (ङ) के परस्पर विरोध की ओर दिलाया गया है जिसके अन्तर्गत एक ओर तो संघों ट्रेड यूनियन एक्ट के अधीन पंजीकृत होने के लिए कहा गया है और दूसरी ओर हड़ताल से अलग रहने के लिए कहा गया है जब कि यह मान्यता केवल सीमित प्रयोजन के लिए ही है, और क्या गृह मंत्रालय के अलावा श्रम मंत्रालय ने भी इस पहलू पर विचार किया है ?

श्री हाथी : जब इन चीजों पर विचार किया गया उस समय मैं भी श्रम मंत्रालय में था। गृह मंत्रालय ने भी इस पर विचार किया है। ये हिदायतें परामर्श की संयुक्त योजना में भाग लेने के सीमित प्रयोजन के लिए जारी की गयी हैं। जो संघ इस योजना में भाग लेना चाहते हैं उन्हें हड़ताल से अलग रहना होगा। वर्तमान योजना से मौजूदा प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

श्री त्यागी : क्या सरकार ने इन नियमों के अधीन बाहरी राजनीतिज्ञों को भी जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, इन संघों में पदधारी के तौर पर भाग लेने की अनुमति दी है ?

श्री हाथी : दो श्रेणियां हैं। सरकारी उद्योगों अर्थात् प्रतिरक्षा कारखानों और अन्य औद्योगिक एककों के लिए बाहरी व्यक्ति संघों के पदधारी ट्रेड यूनियन अधिनियम में रखी गयी सीमा तक बन सकते हैं। लेकिन वे संयुक्त परिषद् में प्रतिनिधि नहीं हो सकते।

श्री त्यागी : नियमित सरकारी कर्मचारियों के बारे में क्या ?

श्री हाथी : वहां बाहरी व्यक्तियों के लिए अनुमति नहीं है।

श्री अ० प्र० शर्मा : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि अधिकांश संघों की राय अभी मालूम नहीं हुई है। जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, नैशनल फेडरेशन आफ रेलवेमैन और आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन ने व्हिटले परिषद् के निर्माण का विरोध किया है। क्या सरकार उस पर विचार कर रही है और उस पर विचार करने में कितना समय लगेगा ?

श्री हाथी : विभिन्न मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद हम यथाशीघ्र उन्हें निश्चित कर देना चाहते हैं क्योंकि यह एक ऐसी योजना है जिसमें मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच पूरा पूरा सहयोग होना चाहिये। हम चाहते हैं कि हम एक साथ बैठ कर कोई ऐसा तरीका, प्रक्रिया या कार्यप्रणाली ढूंढ निकालें जिससे झगड़े तय हो जायें, और हड़ताल न हो और औद्योगिक शान्ति बनी रहे।

श्री कपूरसिंह : इन संघों को अराष्ट्रीय या देश-द्रोही प्रभावों से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री हाथी : इस योजना में परामर्श से, संयुक्त परिषद से झगड़े निबटाने की बात है। यह बिल्कुल अलग चीज है। यह केवल उस सीमित प्रयोजन के लिए है।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : क्या गृह मंत्रालय श्रम मंत्रालय के परामर्श से कोई ऐसा व्यापक कानून बनाने के बारे में सोच रहा है जैसा कि दूसरे देशों में है, जिससे कोई राजनैतिक दल इन संघों में न घुस सके ?

श्री हाथी : मजदूर संघ कर्मचारियों के हितों की देखभाल करते रहते हैं । माननीय सदस्य ने एक सुझाव रखा है जिस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री रंगा : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि सैन्य सामग्री कारखानों में यह बुराई खास तौर से मौजूद है और उनमें काम करने वाले संघों को राजनैतिक दलों के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री हाथी : मैंने बताया कि यह एक सुझाव है जिस पर विचार करना होगा ।

Shri Rameshwaranand : May I know whether any outsider political individual can hold any office in Central Government Servants' trade Union ?

Shr Hathi : I have already replied to it.

Shri Rameshwaranand : It would be better if you repeat it.

Mr. Speaker : It cannot be repeater. Members should listen attentively.

Shri Sheo Narayan : Can any Government servant become a member of R.S.S.?

Shri Hathi : No Government servant can become a member of any political party.

सिंदरी उर्वरक कारखाना

+

६४४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी उर्वरक कारखाने के श्रमिकों ने प्रबन्धकों को अनिश्चित-काल क लिये हड़ताल करने का नोटिस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनकी मांग क्या है ; और

(ग) हड़ताल को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सिंदरी के उर्वरक कारखाने के कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष ने २४-१-१९६४ को हड़ताल की नोटिस जारी की थी । यह नोटिस बिहार राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने के प्रबन्धकों के निश्चय के विरोध में जारी की गयी थी । इस न्यायाधिकरण ने उनकी यह प्रारम्भिक आपत्ति रद्द कर दी थी कि फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड केन्द्रीय सरकार के अधीन चलाया गया उद्योग है, और इस-लिए निगम से सम्बन्धित औद्योगिक झगड़े निबटाने के लिए उपयुक्त सरकार केन्द्रीय सरकार है, न कि राज्य सरकार ।

उसी संघ के जनरल सेक्रेटरी से एक और पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष के हस्ताक्षर के पत्र का खंडन किया गया था और यह कहा गया था कि न तो वह कार्यकारी अध्यक्ष था और न ही संघ की ओर से काम करने का अधिकार दिया गया था । उस पत्र में यह भी कहा

गया था कि हड़ताल के बजाय प्रबन्धकों की कार्यवाही बिहार के मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन समिति के समक्ष आचरण संहिता के अधीन प्रस्तुत की जायेगी। ये पत्र सिंदरी के संघ में आपसी फूट के परिणामस्वरूप हैं ।

प्रबन्धकों ने २९ जनवरी, १९६४ को उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी लेकिन केन्द्रीय सरकार की राय पर ७-२-१९६४ को वापस ले ली। अब राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के सामने सुनवाई जारी है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को देखते हुए कि सिंदरी उर्वरक निगम भारत की प्रमुख राष्ट्रीय प्रायोजना है, मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धी संघों को अधिक अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखने और काम की प्रगति जारी रखने के बारे में समझाया है ?

श्री अलगेशन : यहां केवल एक ही संघ है। एक व्यक्ति यह दावा करता है कि वह निर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष है और सामान्य सचिव उसका विरोध करते हैं। हमने बिहार सरकार से मतगणना या मतदान प्राप्त करने के लिए कहा है और हमें यह बताने के लिए कहा है कि संघ के कौन निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जिनके साथ हमें बातचीत करनी है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : सिंदरी उर्वरक निगम के अच्छे काम को मद्देनजर रखते हुए क्या कर्मचारियों को किसी तरह के बोनस, लाभ में हिस्सा या तदर्थ भुगतान से लाभ पहुंचा है ?

श्री अलगेशन : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि १५ मांगें पेश की गयी थीं जिनमें से १२ मांगें बातचीत के जरिए तय की गयी थीं। तीन मांगें न्यायाधिकरण को पेश की गयी थी। ये मांगें इस प्रकार हैं :—

(क) जीवन निर्वाह लागत सूचनांक के आधार पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि (ख) नॉन सुपरवाइजरी, टेकनिकल, मिनिस्टीरियल और अन्य प्रकार के कर्मचारियों में असमानता और भेदभाव को हटाना और १ मार्च, १९६१ से वेतनक्रम को टेकनिकल सुपरवाइजरी कर्मचारियों के वेतन क्रम के बराबर ही तुरन्त बढ़ा देना और (ग) सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की ग्रेचुअटी योजना। औद्योगिक न्यायाधिकरण इन तीनों मांगों की छानबीन कर रहा है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय मंत्री ने अभी अभी बताया कि बिहार सरकार को मतगणना द्वारा यह निश्चित करने के लिए कहा गया है कि कौन सा संघ प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए क्या बिहार सरकार को यह हिदायत जारी करने से पहले सरकार ने यह मालूम करने का प्रयत्न किया है कि वहां कोई प्रतिनिधिक कर्मचारी संघ काम कर रहा है या नहीं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर): जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी बताया है, वहां केवल एक ही संघ है, इसलिए किसी प्रतिनिधि संघ का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Central Citizen's Rifle Training Board

*645. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to set up a Central Citizen's Rifle Training Board ;

(b) if so, the functions thereof ; and

(c) the composition of the Board ?

The State Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi)

(*a*) Yes, Sir. Central Board on Civilian Rifle Training Scheme has been constituted.

(b) The functions of the Board are :—

(*i*) to maintain over-all supervision and to guide the implementation of the Civilian Rifle Training scheme throughout the country ; and

(*ii*) to meet periodically and review the progress of the scheme, and to suggest such modifications may be necessary.

(c) The composition of the Board is as follows :—

1. The Union Home Minister.....*Chairman*
2. Lieutenant General His Highness Maharajadhiraj Rajeshwar Sri Yadavindra Singh Mahendra Bahadur, Maharaja of Patiala....*Member*
3. His Highness Maharaja Karni Singhji of Bikaner, Member of Parliament....*Member*
4. Sardar Jogendra Singh, Honorary General Secretary, National Rifle Association of India, Member of the Parliament....*Member.*
5. Sardar Surjit Singh Majithia, Member of Parliament.....*Member.*
6. Shrimati Savitri Nigam, Member of Parliament.....*Member.*
7. Secretary, Ministry of Community Development and Cooperation....*Member.*
8. Secretary, Ministry of Defence.....*Member.*
9. Secretary, Ministry of Education.....*Member.*
10. Secretary, Ministry of Home Affairs.....*Member.*
11. Shri K. G. Prabhu Vice-President, National Rifle Association of India.....*Member.*
12. Joint Secretary (Police), Ministry of Home Affairs..*Member-Secretary.*

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know whether this Board would work under Citizen's Council or under Defence.

Shri Hathi : It would not work under any authority.

Shri Onkar Lal Berwa : Will it work under Defence or Citizen's Council ?

Shri Hathi : Under Home Ministry.

Shri Bade : Rifles are not available. This question was asked because rifles are not available there although rifles club has been opened two years ago.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए अमरीका से सहायता

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री कर्णीसिंहजी :
श्रीमती गायत्री देवी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री नाथ पाई :
श्री बूटा सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री गौरी शंकर कक्कड़ :
श्री रंगा :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए अमरीका से किस प्रकार की तथा कितनी सहायता मिली है ;

(ख) इस सहायता कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये क्या प्रबन्ध व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या यह सहायता कार्यक्रम किसी भारत-अमरीकी करार के आधार पर कार्यान्वित किया जायेगा और यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या होंगी ; और

(घ) क्या अकाल पीड़ित लोगों और उनके जानवरों के लिए गेहू और चारा मुफ्त बांटा जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) केन्द्रीय अधिकारियों का जो दल राजस्थान राज्य में अभाव की स्थिति के बारे में मौके पर बातचीत के लिए फरवरी, १९६४ के प्रथम सप्ताह में वहां गया था उसकी इन सिफारिशों के अनुसार कि राजस्थान में अभावग्रस्त जनता और पशुओं को मुफ्त देने के लिये खाद्यान्न तथा चारा प्राप्त करने के प्रयास किये जाने चाहियें, भारत सरकार पी० एल० ४८० के अन्तर्गत खाद्यान्नों तथा चारे के संभरण के प्रश्न पर अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से बातचीत करती रही है। खाद्यान्नों तथा पशुओं के चारे की मात्रा अभी विचाराधीन है। अन्य किसी राज्य सरकार से विदेशी अभिकरण से खाद्यान्नों तथा चारे के संभरण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) पी० एल० ४८० कार्यक्रमों के अधीन अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण द्वारा दिया गया खाद्यान्न राज्य द्वारा चलाई जाने वाली और राज्य के अधिकार में उचित मूल्य वाली दुकानों द्वारा बांटा जायेगा। ये दुकानें बड़े बड़े श्रमिक शिविरों में खोली जायेंगी और जिन छोटे शिविरों में २०० या उससे कम श्रमिक हैं वहां ट्रेनों में संभरण किया जायेगा। राज्य सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि चीज उन्हीं लोगों के हाथ में पहुंचे जिनके लिये वह है और किसी तरह से उसका दुरुपयोग न किया जाए। पशुओं का चारा राज्य सरकार द्वारा खोले जाने वाले चारा डिपुओं द्वारा दिया जाएगा जहां पीने के पानी की सुविधायें भी उपलब्ध हैं। वितरण राज्य सरकार के राजस्व अभिकरण द्वारा होगा अर्थात् भूमि अभिलेखों के निरीक्षक और सम्बन्धित गांवों के पटवारी।

(ग) जी हां। खाद्यान्नों तथा चारे के संभरण की शर्तों को अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से परामर्श के साथ अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) राजस्थान के ५ सबसे अधिक अभावग्रस्त जिलों में अर्थात् बारमेर,बीकानेर,जैसलमेर, जोधपुर और गंगानगर की अनूपगढ़ तहसील में पशुओं का चारा उत्पादक पशुओं को मुफ्त दिया जायगा। खाद्यान्न सभी अभावग्रस्त जिलों में सहायता कार्यों में लगे हुए मजदूरों को उनकी दैनिक मजूरी के ६० प्रतिशत के बदले दिये जायेंगे। खाद्यान्नों की मात्रा क्योंकि सीमित है और अमरीकी प्राधिकारियों का आग्रह है कि खाद्यान्न केवल काम के बदले में ही दिये जायें, इसलिए संभरण को मजदूरों तक ही सीमित रखना पड़ेगा।

नवीनतम जानकारी क्योंकि मुझे अभी अभी मिली है इसलिये मैं इतना और बता दूं कि अमरीकी सरकार ने पी० एल० ४८० के शीर्षक के अधीन ३०,००० टन गेहूं तथा २५,००० टन पशुओं का चारा देना स्वीकार किया है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : हम इसका स्वागत करते हैं और इस लोकोपकारी प्रयास के लिये अत्यधिक आभारी हैं परन्तु यह जान कर हमें चिन्ता हुई है कि यह संभरण राज्य के वर्तमान राजस्व अभिकरण द्वारा किया जायेगा जोकि भ्रष्ट है। हम जानना चाहते हैं कि क्या राज्य में उस वितरण के लिए तथा वितरण की देखरेख के लिए कोई संस्था प्रक्रियायें बनाई जायेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संभरण में कोई कुव्यवस्था या दुरुपयोग नहीं होगा और उसे ऐसे लोगों को बेच दिया जायगा जिनके लिए वह नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : इस आक्षेप का मैं तीव्रता से खंडन करता हूं क्योंकि मैं यह नहीं कि राज्य प्रशासन व्यवस्था को इस तरह से प्रस्तुत किया जाय। सारा संभरण उसी व्यवस्था द्वारा बांटा जायगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस संभरण को उन क्षेत्रों में अकाल सहायता देने के लिए पर्याप्त समझती है ? कितने श्रमिक शिविर खोले गये हैं तथा विवरण में उल्लिखित उन श्रमिक शिविरों द्वारा क्या मजूरी दी जायेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : अभावग्रस्त क्षेत्र के विभिन्न भागों में लगभग ३३,००० श्रमिक यूनिट निर्माण कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। हो सकता है कि कार्यक्रम के अनुसार और यूनिट भी काम आरम्भ कर दें। प्रति सप्ताह लगभग २१ से २८ किलोग्राम प्रति यूनिट वितरण किया जायगा। पशुओं के लिये प्रति दिन एक पशु के लिए १ १/२ किलोग्राम दिया जायेगा।

श्री कर्णीसिंहजी : इस अमरीकी सहायता के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अकालग्रस्त लोगों के लिये इस सहायता के वितरण को पूर्णतः अपने हाथ में लेने का विचार करेगी और यदि इस समय सहायता काफी नहीं है तो क्या सरकार अमरीकी सरकार को और सहायता के लिये कहेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : जी नहीं ; हम अन्य राज्यों से संभरण की व्यवस्था कर रहे हैं—मेरा मतलब हमारे अपने राज्यों से है—क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में भी चारा खरीदा गया है । हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने भी सैनिक केन्द्रों से कुछ चारा देने की कृपा की है । इसलिये अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम पूर्णतः अमरीका पर ही निर्भर नहीं हैं । जैसाकि मैंने पहले बताया वितरण का काम राज्य प्रशासन द्वारा होगा, भारत सरकार द्वारा नहीं ।

Shri Prakash Vir Shashtri : There are other famine stricken areas which have not been declared to be famine stricken because of the obsolete Famine Code. May I know what action is being taken by the Government to give relief to such areas and declare them as famine stricken ?

Dr. Ram Subhag Singh : The State Governments have brought to our notice all those areas which are draught stricken in their opinion. There are 13 districts and five of them are worst affected. Wherever there is scarcity help is sought and given.

श्री कपूर सिंह : माननीय मंत्री ने पी० एल० ४८० के अन्तर्गत अमरीका से आने वाली अतिरिक्त सहायता के बारे में अभी अभी हमें सूचित किया है । मैं जानना चाहता हूं कि आगे इस तरह के अकाल का सामना करने के लिए क्या अमरीका से पी० एल० ४८० की तरह नियतकालिक समझौता करने की कोई योजना विचाराधीन है ।

डा० राम सुभग सिंह : यह अलग प्रश्न है । इस पर हम ने विचार नहीं किया है ।

श्री कपूर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस तरह की किसी नई आपत्ति का सामना करने के लिए इसी तरह का कोई और करार विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है ,"हम ऐसी किसी चीज पर विचार नहीं कर रहे हैं ।"

श्री बूटा सिंह : क्या पंजाब में भी कोई क्षेत्र अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किये गये हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : हम पंजाब को पहले ही कुछ रुपया और कुछ चारा आदि दे चुके हैं परन्तु इस तरह की विशेष सहायता के लिये पंजाब सरकार से कोई प्रार्थना नहीं आई है ।

श्री रंगा : ऐसी ही परिस्थितियों में गेहूं तथा चारे के ऐसे ही संभरण के वितरण के लिये रामकृष्ण मिशन का सहयोग मांगने के अनेक अन्य राज्यों के अनुभव को देखते हुए क्या सरकार राजस्थान सरकार प्रशासन अथवा केन्द्रीय सरकार प्रशासन के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये उन की सहायता लेने की संभावना और वांछनीयता पर विचार करेगी ताकि यह सहायता लोगों को उसी मात्रा में और उसी तरीके से मिले जैसाकि सरकार चाहती है ?

डा० राम सुभग सिंह : कुछ अभिकरण इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और यदि माननीय सदस्य रामकृष्ण मिशन वालों को भी इसके लिए तैयार कर सकते हैं तो मैं इस का स्वागत करूंगा । यदि वे सहायता करना चाहते हैं तो हमें तो खुशी ही होगी ।

श्री रंगा : हमें उन्हें बुलाना चाहिये, वे नहीं आयेंगे

Shri Yashpal Singh : There is no food and foddder left in the western districts of U. P. specially Meerut division, where 90 per cent of the crops have perished in the cold wave. I want to know whether Government would declare that area also as famine stricken ?

Dr. Ram Subhag Singh : It is not correct that 90 per cent of the crops have perished, as the hon. Member has just now stated. The U. P. Government has stated that only 20 to 25 per cent crops have been damaged. Whatever I said here was based upon this. Since the damage has not been to that extent, the question of declaring it as a famine stricken area does not arise.

Shri Yashpal Singh : What do you propose to do about the damage as stated by you ?

Shri Onkar Lal Berwa : The Central Government had formulated a tube-well scheme to help the famine stricken areas of Rajasthan and the State Governments were also approached for their co-operation. I want to know what reply has been sent by the Rajasthan Government. What would the Central Government do if Co-operation is refused by the State ?

Dr. Ram Subhag Singh : The proposal is to have 250 tube-wells and this matter was raised in the inter-departmental meeting also. The Rajasthan Government was also requested and I was told by the Chief Minister of Rajasthan only two days ago that he is persuading the State Government to take action in this regard.

Shri Onkar Lal Berwa : If they refuse, in that case what you will do.

Dr. Ram Subhag Singh : How they will refuse. They are not less concerned than you.

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर रंगा जानना चाहते थे कि क्या सरकार हमें मिलने वाली सहायता के वितरण के काम के लिये रामकृष्ण मिशन जैसे स्वयंसेवक संगठनों को आमंत्रित करेगी ताकि सारी चीज सब को बराबर मिल सके ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या वह चाहते हैं कि हम उन से प्रार्थना करें कि वे आयें और सहायता करें ? उन का स्वागत है . . . (**अन्तर्बाधा**)

श्री रंगा : रामकृष्ण मिशन की ख्याति इतनी है और उन का काम इतना अच्छा है .... (**अन्तर्बाधा**)

डा० राम सुभग सिंह : हम इस पर विचार कर सकते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये विदेशी सहायता का कार्यक्रम तथा यह सहायता केवल राजस्थान के लिए है और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी अपमानजनक सहायता के लिये राजस्थान को ही क्यों चुना गया है? क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार स्वयं इस स्थिति का सामना नहीं कर सकती थीं ?

डा० राम सुभग सिंह : जिन राज्यों में वर्षा नहीं हुई थी हमने उन सब को भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता लेने का अनुरोध किया था और जब राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से सहायता मांगी तो अधिकारियों का एक दल वहां भेजा गया था और उस दल ने सुझाव दिया कि जिन स्रोतों से सहायता मिल सकती है ली जाय । इसलिये केवल राजस्थान को चुनने का कोई प्रश्न नहीं है और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अपमान है जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना श्री पी० आर० चक्रवर्ती

Shri Bagri : My question was very important but you have not allowed.

Mr. Speaker : I am sorry.

Shri Bagri : 1200 cattle heads have died in Panjab and the hon. Minister says that there is no information.

Mr. Speaker : Order, order.

Shri Bagri : On this account I was turned out twice, so many things happened but I have not got any chance.

Mr. Speaker : What do you want now ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड

*६३७. श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६२–६३ के दौरान इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड को घाटा उठाना पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) और (ख). जी हां । गौहाटी में कम काम होने तथा बरौनी तेल-शोधक कारखाने के चालू होने में विलम्ब के कारण घाटा हुआ था । गौहाटी तेलशोधक कारखाने का पूर्ण रूप से पुनर्नवन किया गया है और बरौनी में कुछ ही महीनों में काम आरम्भ हो जायगा ।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्था

*६४१. **श्री गो० महन्ती :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्था में पूरी तरह काम शुरू हो गया है ;

(ख) संस्था में प्रति वर्ष कितने विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं ; और

(ग) प्रवेश के लिये विद्यार्थियों को चुनने का क्या आधार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री नु० क० चागला) : (क) संस्था ने हाल ही में पोवई, बम्बई में अस्थायी स्थान में काम शुरू किया है तथा औद्योगिक इंजीनियरी में पहले तीन पाठ्यक्रम आरम्भ हो गये हैं ।

(ख) पूरी तरह स्थापित हो जाने के बाद संस्था में प्रतिवर्ष लगभग १४०० उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जायगा ।

(ग) उद्योग तथा अन्य संगठनों द्वारा जो उम्मीदवार भेजे जाते है उनमें से संस्था की एक समिति चयन करती है ।

Sangam of Scouts and Guides, Poona.

***643. Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an international centre named Sangam of Scouts and Guides has been set up at Poona;

(b) if so, the estimate of expenditure to be incurred on this centre ; and

(c) the names of the countries which have contributed to the setting up of the centre ?

The Deputy Ministry in the Minister of Education(Shri Bhakt Darshan): (a) Yes sir.

(b) Rs. 9,95,000.

(c) India, USA, United Arab Republic, Malaysia, Australia, Switzerland, UK, Denmark Philippines, Aden, Uganda, Newzealand and Dominico.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रधान का इटली का दौरा

*६४६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रधान ने हाल में ही ई० एन० आई० तथा अन्य तेल कम्पनियों के साथ बातचीत करने के लिये इटली का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन विषयों पर बातचीत की थी तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी हां, केवल ई० एन० आई० कम्पनियों के साथ बातचीत के लिए ।

(ख) भारत की उन तेल परियोजनाओं के बारे में बातचीत की गई थी जिनका निष्पादन इस समय ई० एन० आई० द्वारा किया जा रहा है और जिन्हें ई० एन० आई० ऋण करार के अन्तर्गत शीघ्र ही आरम्भ करने का प्रस्ताव है। जो परियोजनायें चल रही हैं उन से सम्बन्ध रखने वाली कुछ काठिनाइयों को दूर करने तथा नई परियोजनाओं के लिये समझौतों को अन्तिम रूप देने की तैयारी करने में बातचीत सन्तोषजनक रही ।

विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए तीन 'ग्रेड' पद्धति

*६४७. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दाजी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री १८ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी प्रबन्ध वाले कालेजों में काम करने वाले अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उस सिफारिश का लाभ प्राप्त होता है जो उसने विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिये तीन 'ग्रेड' पद्धति के बारे में की थी ; और

(ख) यदि नहीं, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों के वेतनक्रम बढ़ाने के लिए एक अलग योजना है जिसके अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बराबरी के आधार पर कालेजों को सहायता देता है।

Rural Institutes

***648. Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 221 on the 27th November, 1963 regarding the "Report of the Study Team of the Committee on Plan Projects (Planning Commission) on Rural Institutes" and state :

(a) the reaction of the Rural Institutes on this Report ;

(b) the progress since achieved towards the extension and integration of rural institutions ; and

(c) the measures Government are contemplating in this connection ?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla): (a) Six Rural institutes only have sent their comments and they are generallv favourable.

(b) and (c). Proposals for setting up two new Rural Institutes and for upgrading existing Agricultural Science Course are under the consideration of Government.

दिल्ली विकास प्राधिकार

*६४९. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प० कुन्हन :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकार के कार्य संचालन की जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसने वह काम पूरा कर लिया है जो उसे सौंपा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार को प्रस्तावित नगर-परिषद् (मेट्रोपोलिटन काऊंसिल) को सौंप देने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). इसकी जांच की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

एन० सी० सी० के कैडेटों को रियायत

*६५०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी समिति ने विद्या सम्बन्धी आधार पर कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा एन० सी० सी० (राष्ट्रीय सेना छात्र दल) के कैडेटों को दी जाने वाली रियायत को स्वीकार नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) उसके बाद कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा सम्बन्धी आधार पर एन० सी० सी० के कैडेटों को दी जाने वाली रियायतें वापिस ले ली गई हैं।

अल्कोहल की कमी

*६५१. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों के आबकारी मंत्री औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अल्कोहल की कमी के प्रश्न पर बातचीत करने के लिए उनसे मिले थे ; और

(ख) यदि हां, तो कमी को पूरा करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन के सामान्य निष्कर्षों को संक्षेप रूप में देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, १९६३ से नवम्बर १९६४ तक के चाल चीनी मौसम में विभिन्न राज्यों के बीच अल्कोहल तथा सीरे के कतिपय आवंटनों पर

सहमति प्रकट की गई थी। कुछ अल्कोहल आयात करने की संभावना पर विचार हो रहा है और ऐसे उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कुछ पोलिथीलीन आयात करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं जिन के पास इस सामग्री की कमी है क्योंकि देश में पोलिथीलीन तैयार करने वाले यूनिटों को पर्याप्त अल्कोहल नहीं मिल पाता।

विवरण

(क) सफेद चीनी के उत्पादन के लिये चीनी कारखानों को यथासभव अधिक से अधिक गन्ना दिया जाए।

(ख) चीनी कारखानों द्वारा तैयार किये जाने वाले सीरे का भली भांति इस्पात के तालाबों में रखा जाए ताकि उसे पुराने और घटिया स्टाक के साथ मिलने से रोका जा सके। इस प्रयोजन के लिये चीनी कारखानों की इस्पात की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जाना चाहिये।

(ग) सीरा राज्य की मद्यशालाओं में अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार बराबर-बराबर वितरित किया जाए।

(घ) किसी विशेष राज्य की मद्यशालाओं की जरूरतों को पूरा करने के बाद यदि सीरा बच जाए तो वह केन्द्रीय सरकार के परामर्श से उस राज्य के बाहर की मद्यशालाओं को दिया जाना चाहिए।

(ङ) यदि राज्य के अन्दर और बाहर की मद्यशालाओं की जरूरतों को पूरा करने के बाद भी कोई सीरा बच जाता है तो वह गैर-सरकारी व्यापार को दे दिया जाए परन्तु ऐसा करने से पहले केन्द्रीय सरकार से परामर्श कर लिया जाए।

(च) अल्कोहल के उपभोग को कम से कम तथा अत्यावश्यक इस्तेमाल तक ही सीमित रखा जाए। इधर उधर के छोटे-मोटे उपक्रमों की मांग की बहुत कड़ी छानबीन होनी चाहिये और इसे आवंटन में से निकाल दिया जाए। आबकारी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाए ताकि किसी उपभोक्ता के नाम जो अल्कोहल दी जाती है वह उसे कम से कम विलम्ब हुए बिना मिल जाए।

(छ) जिन राज्यों के पास फालतू अल्कोहल है या जो कम से कम अपनी मांगें पूरी करने के लिये न्यूनाधिक पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं उन्हें अपने यहां उपभोग कम करने की चेष्टा करनी चाहिये ताकि जिन राज्यों में इसकी कमी है वहां के उद्योगों को काफी मात्रा में अल्कोहल दी जा सके।

(ज) कुछेक राज्यों की उन नीतियों का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये जिनके अन्तर्गत विक्रय मूल्य में कमी हो जाने के कारण पीने योग्य अल्कोहल की मांग बढ़ जाने की संभावना है ताकि औद्योगिक प्रयोजनों के लिये अल्कोहल के उत्पादन को पूर्ववर्तिता दी जा सके विशेषत: जबकि देश में इसकी कमी है।

India Office Library, London

652. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri M. L. Dwivedi :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri J. B. S. Bist :
Shri E. Madhusudan Rao :
Shri D. C. Sharma :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 72 on the 20th November, 1963 and state :

(a) the latest position regarding the India Office Library in London; and

(b) the practical difficulties in solving the problem?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The matter is still under correspondence between the Governments of India, Pakistan and the U.K.

(b) The problem can be solved only on terms agreed to by all the parties concerned but different points of view have still to be reconciled.

अध्ययन के एक विषय के रूप में 'शिक्षा'

१२५९. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं जिनमें स्नातक-पूर्व और/अथवा स्नातकोत्तर अध्ययन के स्तर पर 'शिक्षा' को अध्ययन के एक विषय के रूप में रखा गया है ;

(ख) क्या 'शिक्षा' की कोई स्वायत्तशीसी अथवा अन्य किसी प्रकार की संस्था विद्यमान है ;

(ग) यदि हां, तो वह किस स्थान पर है, उसका क्या स्वरूप है और उसके क्या कृत्य हैं ;

(घ) क्या प्रशिक्षण कालेजों/संस्थाओं के लिये कोई समन्वय करने वाली एजेन्सी/बोर्ड है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और वह किस स्थान पर है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

स्नातक-पूर्व और अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर "शिक्षा" के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में

शिक्षा दिये जाने के लिये निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में सुविधाओं की व्यवस्था है :—

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम
१.	आगरा**	२५.	मराठवाड़ा*
२.	अलीगढ़**	२६.	मैसूर**
३.	इलाहाबाद**	२७.	नागपुर**
४.	आंध्र**	२८.	उत्तर बंगाल*
५.	अन्नामलाई**	२९.	उसमानिया**
६.	बनारस**	३०.	पंजाब**
७.	बिहार†	३१.	पंजाबी**
८.	बम्बई**	३२.	पटना**
९.	बर्दवान*	३३.	पूना**
१०.	कलकत्ता**	३४.	राजस्थान**
११.	दिल्ली**	३५.	रांची*
१२.	गौहाटी**	३६.	एस० वी० वी० पीठ**
१३.	गोरखपुर**	३७.	सागर**
१४.	गुजरात**	३८.	शिवाजी**
१५.	जबलपुर**	३९.	एस० एन० डी० टी० महिला**
१६.	जम्मू तथा काश्मीर*	४०.	श्री वेन्कटेश्वर*
१७.	जोधपुर*	४१.	उत्कल**
१८.	कल्याणी*	४२.	वाराण्यसीय संस्कृत*
१९.	कर्नाटक**	४३.	विक्रम**
२०.	केरल**	४४.	विश्व भारती*
२१.	कुरुक्षेत्र*	४५.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली* (विश्वविद्यालयों के रूप में मानी जाने वाली संस्थायें)
२२.	लखनऊ**		
२३.	मद्रास**		
२४.	बड़ौदा का एम० एस० विश्वविद्यालय**	४६.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद*

*इन विश्वविद्यालयों में केवल स्नातक-पूर्व स्तर पर ही पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है। बी० एड० और बी० टी० पाठ्यक्रम के स्नातक-पूर्व माना जाता है।

**इन विश्वविद्यालयों में पूर्व-स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर भी 'शिक्षा' पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है।

†इस विश्वविद्यालय में 'शिक्षा' में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है।

२. निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में भी बी० ए० डिग्री के लिये तीन वैकल्पिक विषयों में से एक के रूप में 'शिक्षा' के अध्ययन की व्यवस्था है :

१. आगरा
२. अलीगढ़
३. इलाहाबाद
४. कलकत्ता
५. गौहाटी
६. गोरखपुर
७. लखनऊ
८. बड़ौदा का एम० एस० विश्वविद्यालय
९. उत्कल

(ख) जी, हां ।

(ग) (१) केन्द्रीय शिक्षा संस्था, दिल्ली ।

(२) भुवनेश्वर, अजमेर, मैसूर और भोपाल स्थित चार शिक्षा प्रादेशिक कालेज (भोपाल स्थित कालेज में जुलाई, १९६४ से नियमित पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ किये जाने की आशा है) ।

केन्द्रीय शिक्षा संस्था में बी० एड० और एम० ए० डिग्रियों के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है । चारों प्रादेशिक कालेजों का मुख्य उद्देश्य बहुप्रयोजनीय स्कूलों के चुने हुए अध्यापकों के लिये सेवा में रहते हुए और सेवा-पूर्व प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने का है । उन में चुने हुए विषयों में, उदाहरणार्थ प्रौद्योगिकी और विज्ञान में, सार रूप में और शिक्षा के रूप में एकीकृत चार वर्षीय पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निकोबार से नारियल की सूखी गिरी का निर्यात

१२६०. श्री अ० सिं० सहगल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ के दौरान निकोबार द्वीप समूहों से नारियल की सूखी गिरी और सुपारियों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया था; और

(ख) इन निर्यातों पर कितना स्वामिस्व लगाया गया था और कितना वसूल किया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क)

नारियल की सूखी गिरी . . .	४७,६१,७९० पौंड
सुपारियां . . .	३,४५,७६० पौंड

(ख)

	कितना स्वामिस्व लगाया गया
	रु० न०पै०
नारियल की सूखी गिरी . . .	३,९३,३२५.३०
सुपारियां . . .	६०,०५८.४७
योग . .	३,९३,३८३.७७

जितना भी स्वामिस्व लगाया गया था वह पूरा का पूरा वसूल कर लिया गया था ।

अध्यापन कार्य के लिए सेवानिवृत्त व्यक्ति

१२६१. श्री जेधे : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अनेकों सेवानिवृत्त व्यक्तियों ने आपातकाल को दृष्टिगत रखते हुए अध्यापकों/प्रिंसिपलों के रूप में कार्य करने के लिये अपनी अवैतनिक सेवायें अर्पित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने अध्यापकों के रूप में और कितनों ने प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिये प्रस्ताव किये हैं; और

(ग) कितने व्यक्तियों को क्रमश: अध्यापकों और प्रिंसिपलों के रूप में नियुक्त किया गया है और किन किन स्कूलों में ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

जिसे प्रस्ताव प्राप्त हुए	प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिये	अध्यापक के रूप में कार्य करने के लिये	जिनकी सेवायें स्वीकार कर ली गई हैं उनकी संख्या	उन संस्थाओं का नाम जहां पर कि वे अध्यापन कार्य कर रहे हैं
१	२	३	४	५
१. दिल्ली प्रशासन	१	१ (इसके अतिरिक्त, कुछ सेवानिवृत्त अध्यापकों ने अध्यापकों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये मौखिक प्रार्थनायें कीं)	१ (अध्यापक के रूप में)	गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकन्डरी स्कूल नं. १ शक्तिनगर, दिल्ली
२. दिल्ली नगर निगम	शून्य	शून्य	प्रश्न ही नहीं उठता	
३. नई दिल्ली नगरपालिका	शून्य	शून्य	प्रश्न ही नहीं उठता	

अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

१२६२. **श्री सिद्दया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने का आधार १९६३–६४ में योग्यता के स्थान पर आय कर दिया गया है;

(ख) क्या इस आय में माता-पिता अथवा संरक्षक की आय के अतिरिक्त विद्यार्थी की आय भी सम्मिलित है; और

(ग) क्या छात्रवृत्तियों के फिर से दिये जाने के लिये आय ही आधार होगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी, हां। जाति और योग्यता के स्थान पर आयका आधार रख दिया गया है; परन्तु जब एक ही आय के लिये अनेक पात्र विद्यार्थी हों तो योग्यता के आधार पर चयन किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

उड़ीसा की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता

१२६३. **श्री राम चन्द्र उलाका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को १९६३–६४ में कोई कानूनी सहायता दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में इस पर कितना रुपया व्यय हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी मंगाई गई है। जैसे ही जानकारी प्राप्त हो जायेगी, एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा जिसमें अपेक्षित जानकारी दी जायेगी।

उड़ीसा के उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें

१२६४. **श्री राम चन्द्र उलाका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक स्थित उड़ीसा के उच्च न्यायालय में १९६१–६२, १९६२–६३ और १९६३–६४ में, वर्ष-वार, कितनी लेख याचिकायें पेश की गई थीं; और

(ख) उनमें से जिन पर निर्णय दे दिया गया है और जो अभी तक निर्णय के लिये लम्बित हैं उनकी, वर्ष-वार, संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

१२६५. **श्री राम चन्द्र उलाका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में १९६३–६४ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसानों के कल्याण के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई थी और वास्तव में कितनी व्यय की गई है ; और

(ख) उक्त प्रयोजन के लिये १९६४–६५ के दौरान कितना रुपया दिये जाने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) राज्य सरकार से जानकारी मंगाई गई है। उसके उपलब्ध होने पर एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा जिसमें अपेक्षित जानकारी दी जायेगी।

उड़ीसा में आदिम जाति खण्ड

१२६६. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में इस समय कितने आदिम जाति खण्ड हैं ;

(ख) १९६४–६५ में ऐसे कितने खंडों को खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ग) १९६४–६५ में उड़ीसा के कोरापुट और गंजाम जिलों में अलग अलग कितने आदिम जाति खंडों को खोलने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान ४ विशेष बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खण्ड प्रारम्भ किये गये थे। तृतीय योजना काल के लिये ६२ आदिम जाति विकास खण्ड निर्धारित किये गये हैं जिसमें से अब तक २५ खोले जा चुके हैं।

(ख) सोलह ।

(ग) कोरापुट जिला—८ खण्ड

गंजाम जिला—शून्य

मद्रास में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा

१२६७. **श्री राजाराम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास सरकार को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिये १९६२–६३ और १९६३–६४ में कितने रुपये के ऋण और अनुदान दिये गये हैं और १९६४–६५ में कितने के दिये जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० २५४६/६४]**

मद्रास राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान

१२६८. **श्री राजाराम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय योजना काल के दौरान और तृतीय योजना काल में अब तक मद्रास राज्य में किन किन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इन अवधियों में प्रत्येक विश्वविद्यालय को दिये गये अनुदानों के ब्यौरे क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) (१) अन्नमलाई, और (२) मद्रास ।

(ख) एक विवरण संलग्न है

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० २५४७/६४]

प्राथमिक स्कूलों के भवनों के लिए ऋण

१२६९. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिडिल स्कूलों और हाई स्कूलों के भवनों तथा छात्रावासों और महिला अध्यापकों के लिये स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये राज्य सरकारों को ऋण देने का सरकार ने निश्चय किया है ;

(ख) क्या यह कदम एक निर्धारित योजना के अनुसार उठाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) स्कूलों के भवनों का निर्माण करने के लिये राज्य सरकारों को ऋण देने की एक योजना पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में भाषा अध्यापक

१२७०. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली का शिक्षा निदेशालय विभिन्न भाषाओं में प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी की एम० ए० डिग्री धारी अप्रशिक्षित महिला अध्यापकों को दिल्ली के राजकीय स्कूलों में भाषा अध्यापकों के रूप में नियुक्त नहीं करता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चालू शिक्षा वर्ष में दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में भाषा अध्यापकों के रूप में नियुक्त की गई अध्यापिकाओं की संख्या कितनी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ; नियुक्ति करते समय उनके मामलों पर विचार किया जाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) छः ।

अंकलेश्वर तेल क्षेत्र

१२७१. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री ओंकार लाल बेरवा । :
श्री पु० र० पटेल :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उत्पादन की गई गैस अधिकांशतः जला दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिदिन कितनी मात्रा में गैस जला दी जाती है ; और

(ग) क्या इस तेल क्षेत्र में उत्पादन की गई गैस का उपयोग करने की कोई योजना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, हां।

(ख) किसी तेल क्षेत्र विशेष में उत्पादन की गई गैस की मात्रा सम्बन्धी जानकारी भारत प्रतिरक्षा नियम, १९६२ में परिभाषित "प्रतिबन्धित जानकारी" की श्रेणी में आ जाती है और उसे प्रगट नहीं किया जा सकता।

(ग) जी, हां। विद्युत-जनन करने, उर्वरकों का उत्पादन करने और अन्य उद्योगों में गैस का उपयोग किया जायेगा।

सरकस संस्था

१२७२. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री पोट्टकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :
श्री केप्पन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सरकस संघ ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि सरकस के कार्य में प्रशिक्षण देने के लिये एक सरकस संस्था स्थापित की जाये ; और

(ख) यदि हां, इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है।

बर्दवान में पुरातात्विक अवशेष

१२७३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में बर्दवान के निकट पुरातात्विक महत्व के कुछ प्राचीन स्मारक पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अवशेषों की जांच कर ली गई है ; और

(ग) वे किस युग से सम्बन्धित प्रतीत होते हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) पाण्डु राजार ढिबि नामक एक टीले की जांच कर ली गई है।

(ग) पाण्डु राजार ढिबि कैलकोलिथिक युग का है अर्थात् ईसा पूर्व द्वितीय सहस्राब्दी के लगभग मध्य काल का।

Syllabi for Schools

1274. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that the syllabi for primary and secondary education are gradually becoming shorter ;

(b) if so, the reasons therefor and the effect it has produced on the mental development of the students; and

(c) whether it is proposed to make the said syllabi more comprehensive and also to modernise it?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). No, Sir. The National Council of Educational Research and Training has, however, had occasion to study and analyse the syllabuses in different subjects at present in use in different States in the country. That revealed that the syllabuses for primary and secondary education are not lighter than what they were previously. On the other hand the bulk has somewhat increased.

(c) The National Council of Educational Research and Training has constituted different subject panels consisting of eminent persons representing different subject areas, to prepare text-books in which effort is being made to deepen further the content of syllabuses for different age levels.

Hindi Cells

1275. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the departments of the Central Government where a Hindi Cell containing officers, clerks and stenographers exists and the departments where such an arrangement does not exist; and

(b) when arrangement for such cells would be made in those departments where there is no Hindi Cell?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L.N. Mishra) : (a) Almost all Departments have some special staff for doing work through the Hindi medium.

(b) The basic policy of the Government of India is to train the existing personnel in the Hindi Medium, and to utilise the Hindi-knowing and the Hindi-trained personnel for doing Hindi work in their respective offices.

सामान्य शिक्षा

१२७६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री दिनांक २० नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य शिक्षा का सुधार करने के लिये पिछले उत्तर में वर्णित उपायों के परिणामस्वरूप क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : क्योंकि शिक्षा के स्तर में सुधार एक अनवरत और दीर्घकालीन प्रक्रिया है और यह बहुत सी अन्य बातों के परिणामस्वरूप होता है अतः अपेक्षाकृत इतनी अल्प अवधि में इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

दिल्ली पुलिस बैंड के धैन का गबन

१२७७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री दिनांक २० फरवरी, १९६३ के दिल्ली पुलिस के धन के गबन से सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक जांच पूरी की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) वैभागिक कार्यवाहियां आरम्भ कर दी गई हैं। अपराध सम्बन्धी मुकदमे को चलाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

Sahitya Akademi

1278. **Shri M.L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of publications so far brought out by Sahitya Akademi and the languages from which these have been translated;

(b) whether copies of each of these publications will be placed on the Table if already not placed in the Parliament Library ; and

(c) the amount of recurring and non-recurring expenditure incurred by Sahitya Akademi on publications and administration during the past three years ?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : (a) The Akademi has so far published 297 books out of which 69 are original works and 228 translations of books from various Indian and foreign languages as detailed below:—

Assamese 1; Bengali 88; Gujrati 6; Hindi 18; Kannada 5; Malyalam 12; Marathi 15; Oriya 14; Punjabi 1; Tamil 5; Telegu 3; Arabic 2; Chinese 3; English 17; French 11; German 4; Greek 5; Italian 4; Japanese 3; Norwegian 11.

(b) Three copies of each of these publications have been supplied to the Parliament Library by the Akademi.

(c) Year	Expenditure on	
	Publications	Administration
		(For all activities including publications)
	Rs. (in lakhs)	Rs. (in lakhs)
1960-61	3·59	1·96
1961-62 . .	1·88	2·26
1962-63	2·53	2·65

नूनमाटी तेलशोधक कारखाने के उत्पाद

१२७९. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इंडियन आयल कम्पनी" जिस करार के अधीन नूनमाटी तेलशोधक कारखाने के उत्पादों को विदेशी तेल समवायों को बेचती है क्या उसके अनुसार एक वर्ष तक कार्य किये जाने के परिणामस्वरूप बहुत से ऐसे दोषों का पता लगा है जिनसे कि तेलशोधक कारखाने को भारी हानि होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) और (ख). "इंडियन आयल कम्पनी" और विदेशी तेल समवायों द्वारा नूनमाटी तेलशोधक कारखाने के उत्पादों का विक्रय करने की व्यवस्था उन समवायों के साथ कुछ उत्पादों के विनिमय और अन्य कुछ उत्पादों की सीधी बिक्री के सम्बन्ध में एक करार करके की गई थी । मूल्य सूत्र और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी शर्तें तय की गई थीं जोकि तेल शोधन कारखाने और तेल समवायों दोनों ही के सर्वोत्तम पारस्परिक हित में थीं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बरौनी तेल शोधक कारखाने के उत्पाद निकट भविष्य में उपलब्ध होने लगेंगे, इंडियन आयल कम्पनी और गैर-सरकारी तेल समवायों के बीच उत्पादों के विनिमय सम्बन्धी नई व्यवस्था के बारे में बातचीत चल रही है ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

१२८०. **श्री हेम राज :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में अब जितने विद्यार्थी राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत आये हैं, उनकी राज्य-वार क्या संख्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : यह योजना अब तक १५,४६,८५६ विद्यार्थियों

पर लागू की गई है जिन का ब्योरा निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	विद्यार्थियों की संख्या
१	आन्ध्र प्रदेश	१४,०००
२	आसाम	६,४५५
३	बिहार	२,५२४
४	दिल्ली	७१,४३३
५	गुजरात	१,२६,०००
६	हिमाचल प्रदेश	६,६४६
७	जम्मू तथा काश्मीर	३३,०२२
८	केरल	५४,५२७
९	मध्य प्रदेश	१,१६,६००
१०	महाराष्ट्र	४,७४,४१८
११	मैसूर	१८,०८८
१२	उड़ीसा	४५०
१३	पंजाब	३,४८,२६६
१४	राजस्थान	१,४२,६०२
१५	उत्तर प्रदेश	७३,२८७
१६	पश्चिम बंगाल (अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह समेत)	५४,६०२
	कुल . .	१५,४६,८५६

अन्दमान द्वीपसमूह में हायर सेकेंडरी स्कूल

१२८१. श्री अ० सिं० सहगल : क्या **शिक्षा** मंत्री १३ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रमों को शिक्षा वर्ष, १९६४ से अन्दमान द्वीपसमूह में हायर सेकेन्डरी स्कूलों की कक्षा ९ में, इन स्कूलों को केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध करने के सरकार के निर्णय के अनुसरण में, क्यों लागू नहीं किया जा रहा है; और

(ख) सम्बद्धकरण के इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने परीक्षा के माध्यम के बारे में कुछ कठिनाइयां बताई हैं और इन बातों का हाल ही में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्पष्टीकरण किया है ।

(ख) इन स्कूलों को केन्द्रीय बोर्ड से सम्बद्ध करने का निर्णय लागू है ; परन्तु वास्तविक सम्बद्धकरण की तिथि के बारे में प्रशासन द्वारा केंद्रीय बोर्ड के परामर्श से निर्णय किया जाना है ।

Stolen Buddha Statuette

1282. **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shrimati Maimoona Sultan :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a statuette of Buddha stolen several years back from the museum in Mathura has been traced in Switzerland; and

(b) if so, the action proposed to be taken in the matter?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) Efforts are being made to recover the same through the Indian Embassy in Switzerland.

नवजात शिशुओं के शव

१२८३. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ फरवरी, १९६४ को दिल्ली में दिल्ली की पुलिस को तीन नवजात शिशुओं के शव मिले, जिनका कोई दावेदार नहीं था ; और

(ख) यदि हां, तो इन नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं । इस तिथि को केवल एक नवजात शिशु का शव मिला ।

(ख) इन नवजात शिशुओं को, यदि वे जीवित मिलते हैं, सरकार द्वारा चलाये जा रहे फाउंडलिंग होम, नांगिया मेटरनिटी होम, शक्ति नगर, दिल्ली में दाखिल करा दिया जाता है ।

क्रयावक्रय के लिये मकानों का निर्माण

१२८४. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री तुलशीदास जाधव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने जीवन बीमा निगम को क्रयावक्रय पर लोगों के लिये मकान बनाने के लिए एक प्लाट आबंटित करने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) मकानों की पहली किश्त कब तक तैयार हो जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बरौनी-दिल्ली उत्पाद पाइप लाइन

१२८५. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित बरौनी-दिल्ली उत्पाद पाइप लाइन केवल कानपुर तक ही होगी और दिल्ली तक नहीं; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) आर्थिक आधार पर इस पाइप लाइन को दिल्ली तक बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया ।

पिम्परी परियोजना

१२८६. श्री प्र० चं० बरुआ: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एन्टी-बायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच कोई समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) सर्वोच्च न्यायालय में प्रबन्धकों की अपील के परिणाम लम्बित रहने तक, अन्तरिम सहायता के बारे में एक समझौता हो गया है ।

(ख) पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने २१ फरवरी, १९६४ को प्रबंधकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी । इस वार्ता में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और श्रम मंत्री ने भी भाग लिया । इन वार्ताओं के फलस्वरूप, मंत्री महोदय ने निम्नलिखित घोषणा की :

> प्रबन्ध कम्पनी में न्यूनतम मजूरी १२० रुपये निर्धारित करने को तैयार है चाहे इसका मतलब यह हो कि यह उस क्षेत्र में लागू दर से अधिक है । सरकारी कम्पनी के रूप में प्रबंधक यह मानते हैं कि यह एक आदर्श नियोजक होनी चाहिये और इसको गैर-सरकारी नियोजकों की अपेक्षा सेवा की शर्तें अच्छी रखनी चाहियें । अत: प्रबन्धकों ने, सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय लम्बित रहने तक, प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच विवाद के अन्तरिम समझौते के लिये निम्नलिखित शर्तें रखी हैं :
>
> (१) उन सभी मामलों में जहां न्यायनिर्णायक ने २० रुपये तक की वृद्धि को कहा है, प्रबंधक उसे पूर्णत: मानगे ;
>
> (२) जहां पंचाट २० रुपये से अधिक है, प्रबंधक न्याय निर्णायक द्वारा दिये गये ३० रुपये पर २५ रुपये के अनुपात में वृद्धि करेंगे ।
>
> (३) चाहे मौजूदा दर १०० रुपये है, कम्पनी १२० रुपये देगी ।
>
> (४) वृद्धि की मात्रा अथवा जिस अवधि से इस को लागू किया जाये, इस पर दोनों पक्षों के दावों पर समान निर्णय करते हुए प्रबंधक १ जनवरी, १९६४ से वेतन-वृद्धि देंगे ।
>
> (५) भुगतान का समायोजन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पता लगने पर किया जायेगा ।

क्योंकि प्रबंधक सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील को एक विवाद के रूप में नहीं ले रहे हैं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकारी समवायों के बारे में सिद्धान्त बनाये जाने के एक अवसर के रूप में ले रहे हैं, प्रबंधकों ने सर्वोच्च न्यायालय को दस्तावेज़ देने में संघ द्वारा मुद्रण पर किये गये

व्यय को पूरा पूरा वहन करने का प्रस्ताव रखा है। इस के अतिरिक्त, प्रबंधक इस प्रश्न को निबटाने के लिये संघ द्वारा मुकद्दमेबाजी पर किये गये व्यय को भी अंशत: वहन करने को राजी हैं।

महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और श्रम मंत्री ने और श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने इन प्रस्तावों का स्वागत किया है परन्तु संघ के प्रतिनिधियों का दावा है कि पूना में निम्नतम वेतन पाने वाले कर्मचारी का वेतन-स्तर १२५ रुपये से कम नहीं है। अत: संघ का दावा है कि कम्पनी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामला निपटाये जाने तक अन्तरिम सहायता के रूप में २० रुपये नहीं बल्कि २५ रुपये दे। प्रबंधक इस बात से सहमत हैं कि इस क्षेत्र में चालू वास्तविक दर के प्रश्न की राज्य के श्रम मंत्री परीक्षण करें और यदि वह यह समझें कि भुगतान स्तर १२५ रुपये है तो प्रबंधक सभी मामलों में न्याय-निर्णायक द्वारा दी गई पूरी रकम १२५ रुपये तक देंगे और उसके बाद हर ३० रुपये के लिये २५ रुपये देंगे।

राज्य के श्रम मंत्री और मूल्यांकन पदाधिकारी के प्रतिनिधि कम्पनी और संघ के प्रतिनिधियों के साथ पिम्परी-पूना क्षेत्र में प्रभुत्व उपक्रमों का दौरा करेंगे और (१) न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारी और (२) इन उपक्रमों में निम्नतम वेतन पाने वाले श्रमिकों की औसत के बारे में आंकड़े प्राप्त करेंगे। जब ये आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे, तो उपपत्तियों को राज्य के श्रम मंत्री के समक्ष उनके अन्तिम निर्णय के लिये रखा जायेगा।

पेनिसिलीन का मूल्य

१२८७. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड में उत्पादित पेनिसिलीन के मूल्य में कमी करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). मौजूदा निर्माताओं द्वारा विकास कार्यक्रम पूरा किया जाने के बाद, जो कि चल रहा है, पेनिसिलीन और पेनिसिलीन उत्पादों के विक्रय-मूल्य में कमी करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

National Exhibition of Lalit Kala Akademi

1288. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no work of art has been declared outstanding and considered fit for the award of the gold medal in the National Exhibition of Lalit Kala Akademi during the last five years; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister for Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) No work of art submitted for selection was considered outstanding enough to merit the distinction.

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की संक्षिप्त जीवनी

१२८९. श्री दलजीत सिंह: क्या **शिक्षा** मंत्री १८ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की संक्षिप्त जीवनी के संकलन और प्रकाशन के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : स्थिति निम्न प्रकार है

क—राज्य

क्रम संख्या	राज्य का नाम	हर राज्य में की गयी प्रगति
१	आन्ध्र प्रदेश . .	लगभग ३५०० जीवनियां तैयार हैं ।
२	आसाम . . .	६००० से अधिक जीवनियों का संग्रह किया गया है और ५००० का संकलन किया गया है ।
३	बिहार . . .	३२ ००० जीवनियों का संकलन किया गया है । अब यह काम राजनीतिक पीड़ित सहायता बोर्ड को सौंप दिया गया है ।
४	गुजरात . . .	एकत्र की गयी जानकारी का सम्पादन किया जा रहा है।
५	जम्मू तथा काश्मीर . .	प्रगति प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।
६	केरल . . .	लगभग १६०० व्यक्तियों के बारे जानकारी एकत्र की गयी है।
७	मध्य प्रदेश . .	प्रगति प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
८	मद्रास . . .	संकलन कार्य के लिये एक एजेन्सी बनाने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।
९	महाराष्ट्र . .	७००० जीवनियां पूरी तरह तैयार हैं जिसमें लगभग ४० परिशिष्ट हैं ।
१०	मैसूर . . .	कार्य चल रहा है।
११	उड़ीसा . . .	८,९९८ व्यक्तियों के बारे में आंकड़े एकत्र किये गये हैं।
१२	पंजाब . . .	लगभग ३०,३१५ व्यक्तियों के बारे में आंकड़े एकत्र किये गये हैं। इनमें से १८३०० जीवनियों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है

क्रम संख्या	राज्य का नाम	हर राज्य में की गयी प्रगति
१३	राजस्थान . .	१३ ००० व्यक्तियों के ब्योरे एकत्र किये जा चुके हैं और उनकी कार्डों पर तालिका बनायी गयी है। ५०० कार्यकर्त्ताओं की जीवनियां लिखी गयी हैं। कार्य चल रहा है
१४	उत्तर प्रदेश . .	झांसी डिवीज़न से सम्बन्धित हिन्दी अंग्रेजी संस्करण छप गये हैं--वाराणसी डिवीज़न से सम्बन्धित सामग्री प्रेस में है। अन्य तैयार किये जा रहे हैं।
१५	पश्चिम बंगाल .	राज्य सरकार ने दो समितियां स्थापित की हैं जो कि सामग्री एकत्र कर रही हैं।
	ख--संघ राज्य-क्षेत्र	
१	दिल्ली . . .	संकलन कार्य पूरा हो गया है।
२	हिमाचल प्रदेश . .	कार्य शीघ्र ही पूरा होने वाला है।
३	मनीपुर . . .	१९४ नाम एकत्र किये गये हैं। कार्य चल रहा है।
४	नेफ़ा . .	आवश्यक आंकड़े एकत्र कर लिये गये हैं।
५	पांडीचेरी . .	संकलन कार्य पूरा हो गया है।
६	त्रिपुरा . . .	संकलन कार्य पूरा हो गया है। इसको छापने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।
७	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह	इन राज्य-क्षेत्रों में जानकारी तैयार करने की कोई गुंजायश नहीं है।
८	लक्कदीव, मिनिकोय और अमीन-दीव द्वीपसमूह	

Vigilance Commission for Delhi

1290. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Home Affairs be** pleased to state :

(a) whether a vigilance Commission has been set up for Delhi ; and

(a) if so, the names of its members and when it would start functioning?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली में टैक्सी चालक

१२९१. **श्री इम्बीचिबाबा :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में हाल के महीनों में टैक्सी-चालकों की कितनी कथित हत्यायें की गयी हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी): १-९-६३ से आज तक की अवधि में दिल्ली में केवल एक टैक्सी चालक की हत्या की गयी।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

१२९२. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री ४ दिसम्बर १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना की प्रगति के बारे में निगरानी रखने के लिये एक परामर्शदात्री समिति बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

Raksha Bandhan

1294. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Gokaran Prasad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that in 1963 and prior to that 'Raksha Bandhan' day was declared as a restricted and gazetted holiday for the Central Government offices situated within the Union Territory of Delhi;

(*b*) whether it is also a fact that ' Raksha Bandhan' has been completely excluded from the list of holidays for 1964; and

(*c*) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. Mishra) : (*a*) ' Raksha Bandhan' is being included in the list of restricte holidays for Central Government offices in Delhi since 1961.

(*b*) and (*c*). 'Raksha Bandhan' has not been included in the list of restricted holidays for 1964 as it falls on the 23rd August, which is a Sunday.

राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कृषक

१२९५. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६३–६४ में राजस्थान में अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसानों पर कितना धन खर्च किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): राज्य सरकार से जानकारी मांगी गयी है। उपलब्ध होते ही अपेक्षित जानकारी वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा।

महिलाओं के लिये पोलीटेक्नीक

१२९६. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार महिलाओं के लिये पोलीटेक्नीकों की क्या संख्या है; और

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में देश में इन पोलीटेक्नीकों की स्थापना के लिये केन्द्र द्वारा कुल कितना धन आवंटित किया गया ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला):

(क)

आन्ध्र प्रदेश	२
केरल	३
मध्य प्रदेश	१
मद्रास	२
मैसूर	१
पंजाब	१
उत्तर प्रदेश	१
पश्चिम बंगाल	१
दिल्ली	१
कुल	१३

(ख) चालू योजना के प्रथम वर्ष में चार पोलीटेक्नीक चालू हुए और उन पर ३,३९,५८७ रुपये व्यय हुए। केन्द्रीय सरकार ने अनावर्ती व्यय का ७५ प्रतिशत और आवर्त्ती व्यय का ५० प्रतिशत दिया है।

मोटल

१२९७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ऑयल कम्पनी ने मोटलों के निर्माण के प्रस्ताव का परीक्षण करने में कितनी प्रगति की है; और

(ख) यह मामला इस समय किस प्रक्रम पर है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) और (ख). इण्डियन ऑयल कम्पनी ने बम्बई में एक मोटल स्थापित कर लिया है और चार और मध्य प्रदेश, मद्रास, बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थापित किये जा रहे हैं। कम्पनी कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जम्मू के निकट भलवाल मौलू नामक सीमावर्ती गांव पर सशस्त्र पाकिस्तानियों के हमले

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद): मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:—

> "जम्मू के निकट भलवाल मौलू सीमावर्ती गांव पर, १५ मार्च, १९६४ को, सशस्त्र पाकिस्तानियों के धावे जिस के परिणामस्वरूप ४ व्यक्ति मारे गये और अन्य लोगों को गहरी चोटें आई ।"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): १५/१६ मार्च की रात को २५ पाकिस्तानियों के एक गिरोह ने भलवाल मौलू गांव पर, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के हमारी ओर १½ मील पर स्थित है, धावा बोल दिया। वह आधे घंटे तक गोली वर्षा करते रहे जिस के परिणामस्वरूप ४ ग्रामीण मारे गये और ३ अन्य घायल हुए। सीमा उल्लंघन संबंधी शिकायत संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षकों के पास दर्ज करा दी गयी है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि पाकिस्तान इन धावों को प्रोत्साहन दे रहा है और प्रत्येक मारे गये भारतीय के बदले में १०० रुपये का इनाम उन्हें दिया जाता है और, यदि हां, तो क्या बात संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के ध्यान में लाई गयी है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे ऐसी रिश्वत के बारे में मालूम नहीं है ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): क्या माननीय प्रधान मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ को बतलायेंगे कि या तो वह युद्ध विराम रेखा की रक्षा करें अन्यथा यह हमारा कर्त्तव्य होगा कि हम युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन कर के तथाकथित आज़ाद काश्मीर पर कब्जा कर लें और काश्मीर संबंधी मामले को संघ से वापस ले लें ।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी नहीं। मैं ऐसा कहने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री बड़े (खारगोन): इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार हमारे राज्य क्षेत्र की रक्षा नहीं कर सकती...

श्री जवाहरलाल नेहरू: अपने राज्य क्षेत्र की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है जिस का पालन हम कर रहे हैं। कभी कभी वह सीमा पार कर लेते हैं और शरारत करते हैं परन्तु उन्हें पीछे ढकेल दिया जाता है ।

श्री हेम बरुआ: क्या आप संयुक्त राष्ट्र संघ को कहने के लिये तैयार हैं चूंकि पाकिस्तान डंडे से ही काबू में आ सकता है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: जी नहीं। मैं ऐसा कहने के लिये तैयार नहीं हूं। परन्तु यदि अपने राज्य क्षेत्र की रक्षा की दृष्टि से सीमा पार जाना वांछनीय हुआ तो हमारी सेना वैसा करेगी। परन्तु ऐसा करना हमारी नीति नहीं है... (**अन्तर्बाधायें**)

Shri Vishram Prasad (Lalgunj) : It has been pointed out here that Pakistan pays Rs. 100/- as reward for each head of an Indian. I want to know whether our Government have supplied rifles to the people living near border areas and have also made a provision for that kind of reward, in order to encourage them to defend the country ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : कुछ क्षेत्रों में चुने हुए लोगों को शस्त्रास्त्र दिये गये हैं।

Shri Bade : Is it a fact the U.N. observers are there only to observe, and, if so, has our army been posted there to fire back whenever they are fired at?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : प्रेक्षकों को जब शिकायत की जाती है तो वह उसकी जांच करते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : इस्लामी समाज के दर्शन शास्त्र में बदले की भावना का क्या नैतिक आधार है क्या सरकार इस बारे में कुछ गहन अध्ययन कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम इस प्रकार का अध्ययन तो नहीं कर रहे हैं परन्तु सम्बद्ध प्रश्न से संबंधित कई बातों पर विचार कर रहे हैं। यानि इन परिस्थितियों में हमें किस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिए, आदि, आदि। यदि माननीय सदस्य इस बारे में गांधी जी के कथनों को पढ़ना चाहते हैं तो वह पढ़ सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि इन घावों का सम्बन्ध सुरक्षा परिषद् में काश्मीर संबंधी चर्चा से है और कि चीन पाकिस्तान को प्रोत्साहन दे रहा है ? क्या इन तथ्यों को सुरक्षा परिषद् के ध्यान में लाया जायेगा ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी हां, इन का सम्बन्ध सुरक्षा परिषद् में काश्मीर संबंधी समस्या पर चर्चा से ही है। सम्भवतः चीन पाकिस्तान को उत्तेजना दे रहा है।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Is it a fact that Pakistanis are being trained in Guerilla warfare by Chinese soldiers, and Chinese are responsible for such incidents on the borders ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : क्या सीमाओं पर हमारी सेनायें उपयुक्त संख्या में हैं और क्या उन्हें बदले में गोली चलाने के आदेश हैं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : १४ तारीख की सुबह को हमारे सैनिकों ने बदले में गोली चलाई थी जिस के परिणामस्वरूप ४ पाकिस्तानी मारे गये थे । इससे सिद्ध होता है कि हमारे लोग बदले में कार्यवाही करते हैं ।

Shri Kachhavaiya (Dewas): I want to know whether our Government will give some kind of assistance to the families of the beheaded people, also whether efforts are being made to apprise U.N.O. of such incidents?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक परिवारों को सहायता देने का सवाल है, निश्चय ही राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार इस पर विचार करेंगी ।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : When Pakistanis raid our villages again and again, what is the reason that our people do not raid their villages? Have our soldiers been posted there without arms?

Mr. Speaker : You have said what you wanted to say. Now, you kindly resume your seat.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : In view of these incidents occurring daily, will our Prime Minister or the hon. Minister fix some time for having a discussion, so that we could find some way out of it?

Mr. Speaker : It is not a question for answer.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnaur) : In view of the increasing number of raids, do our Government intend to ask U.N.O. to increase the number of their observers, so that these incidents could be checked?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हम ने अधिक प्रेक्षकों के लिये निवेदन किया है ।

विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में
RE: QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना मिली है :—

> "१७ मार्च, १९६४ को सायंकाल लगभग ७ बजे वाच एण्ड वार्ड स्टाफ के एक सदस्य द्वारा श्री बागड़ी, सदस्य, लोक सभा को लोक सभा के मुख्य द्वार से अन्दर प्रवेश करने के लिये रोका गया । संसद् भवन के अन्दर संसदीय कांग्रेस दल की बैठक हो रही थी और समाचार पत्रों के संवाददाताओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी । इससे विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है ।"

उस समय शाम के ७ बजे थे और मेरा आदेश था कि श्री बागड़ी को शाम के ७ बजे के बाद संसद् भवन में प्रवेश न करने दिया जाये । इसलिये इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है ।

Shri Bade (Khargone) : I bow to your ruling. But I want to submit that when Members of the Congress Party can enter the Parliament House

at 7-30 p.m. in connection with a meeting of their Party, why Members of other Parties are denied this privilege. If you, Sir, think that there was nothing wrong in refusing entry into Parliament House after 7 p.m. to an hon. Member of this House, then I have nothing to say.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : My submission is that you gave permission to Shri Bagri to stay on the lawns within the precincts of Parliament House and he was entering Parliament House to take water because there were no arrangements made for water outside the Parliament House. He has not incurred any displeasure of the House. Other hon. Members were holding their meeting inside and were permitted to enter the Parliament House. Why , then, Shri Bagri was refused entry into the Parliament House for taking water ? Such a treatment with an hon. Member is not justified.

I may also state in this connection that I and hon. Member, Shri Bade, were not allowed to proceed to the gate of the Parliament House in a taxi and were made to walk when the outer gate was not closed. Such kind of things do not august well.

Shri Tyagi (Dehra Dun) : There was a warrant against Shri Bagri. You had, therefore, allowed him to stay on the lawns of the Parliament House during the night. You have not specified the offences accused of which may be permitted to stay within the precincts of Parliament House during night to seek protection from the police. I want that the position may be clarified.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : सभा स्थगित होने के बाद संसद भवन में प्रवेश के संबंध में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों और विरोधी दल के सदस्यों में भेदभाव की नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए ।

श्री त्यागी : कांग्रेसी सदस्य पहले से ही अन्दर थे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आपको सभा में पहुंचने में विलम्ब हो सकता था ।

अध्यक्ष महोदय : आरोप मुझ पर लगाये जा रहे हैं इसलिये मैं स्वयं उत्तर दूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामथ (होशंगाबाद) : श्री मनीराम बागड़ी को संसद् भवन के बाहर ठहरने की अनुमति तो दी गई किन्तु उन्हें सांय ७ बजे के बाद एक गिलास पानी लेने के लिये भवन में प्रवेश नहीं करने दिया । भविष्य में आपके उत्तराधिकारी इसको पूर्वोदाहरण के रूप में मानेंगे । मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि श्री बागड़ी के साथ यह भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों अपनाया गया, जबकि कांग्रेस दल के सदस्य स्वतंत्र रूप से भवन के अन्दर प्रवेश कर रहे थे । इसका संसद् सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री रंगा (चित्तूर) : श्री बागड़ी द्वारा सभा उठने के बाद भवन में ठहरने की अनुमति मांगने के संबंध में मेरी अध्यक्ष महोदय से बातचीत हुई थी । हमारी राय जानने के बाद अध्यक्ष महोदय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी व्यक्ति को संसद की प्रसीमा (प्रेसिंक्ट्स) के अन्दर रहने का विशेषाधिकार दिया जा सकता है । इसी आधार पर श्री बागड़ी को प्रसीमा के अन्दर रहने की अनुमति दी गई । श्री बागड़ी को जल संबंधी जो कठिनाई हुई है उसका ध्यान अनुमति देते समय नहीं रहा अन्यथा यह कठिनाई दूर की जा सकती थी । जहां तक भेदभाव की नीति अपनाने का प्रश्न है, यह आरोप निराधार है । कांग्रेस दल को भी निश्चित समय के बाद संसद् भवन के अन्दर सभा के लिये

अध्यक्ष महोदय से लिखित रूप में अनुमति लेनी पड़ती है । इसलिए इसमें भेदभाव की नीति अपनाने या सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

Shri Ram Sewak Yadav : Shri Tyagi said that Members were sitting inside the Parliament House, but I have mentioned in my Privilege motion that Members also entered the Parliament House after 7 p.m. Shri Ranga talked about the concession that you were pleased to give. I know there is a rule that police cannot enter the precincts of the Parliament House without your permission. When you give protection to an hon. Member and he stays on the lawns outside, it should be ensured that he is provided with water and bathroom facilities. When the Parliament House was open, and other members were allowed to enter, in such circumstances refusal to take water from inside the Parliament House to anoter hon. Member does constitute a breach of the privileges of this House and its Members. It is not a question of protection, but it is a question of the dignity and privileges of Members of Parliament. Therefore, it should not be considered from that agngle.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : अपने पूर्व वक्ताओं के भाषण सुनने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि श्री बागड़ी के ७ बजे के बाद संसद भवन में प्रवेश पर रोक लगा कर किसी प्रकार के विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है । कुछ माननीय सदस्यों ने मामले को गम्भीर रूप देने का प्रयत्न किया है, किन्तु प्रस्ताव में इस प्रकार की कोई बात नहीं है । मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती की इस बात से सहमत हूं कि यह केवल श्री बागड़ी के प्रवेश पर रोक लगाने का ही प्रश्न नहीं है, अपितु इस प्रस्ताव के पीछे कार्य करने वाली सत्तारूढ़ दल की सर्वसत्ताधिकार वादी नीति का है । मैं इस नीति का भी विरोध करता हूं ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय) : हम संवैधानिक रूप से भले ही सर्वप्रभुत्व सम्पन्न हैं किन्तु हमें इसका प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति को आश्रय देने के लिये नहीं करना चाहिए जिसके विरुद्ध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही हो ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : मैं अध्यक्ष महोदय के प्राधिकार या विवेक के बारे में कुछ नहीं कहती हूं । किन्तु मैं श्री फ्रैंक एन्थनी के विचारों से सहमत हूं । एक कथित अपराधी को आश्रय देना उचित नहीं है । श्री बागड़ी को सांयकाल ७ बजे के बाद भवन में प्रवेश की अनुमति न देने से यह बात कहीं अधिक गंभीर है कि एक कथित अपराधी को संसद की प्रसीमा के अन्दर ठहरने की अनुमति दे कर कानून का उल्लंघन किया गया है ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : First thing that I want to know is whether by Parliament we mean when Lok Sabha or Rajya Sabha is in session or the Parliament House where Members meet. In my opinion Parlaiment means the building where members of Parliament conduct their business.

My second question is : can a member of Parliament be arrested inside the Parliament House ? In the Parliaments of several countries and even in the Parliament of Britain, which is a model for us in many respects, it has been decided that Members of Parliament are immune from arrests inside the Parliament building. It is not their privilege, but it is an ordinary right which Members of Parliament enjoy.

The third question is about the offences. Here in India the two kinds of offences—political and moral—are dealt with differentl. So far as moral offen-

ces are concerned the question of protection perhaps may not arise but so far as political offences are concerned, protection from arrest inside the Parliament House is the birthright of members of Parliament. I would, therefore, submit that members should be provided this kind of protection in future.

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Shri Bagri alone has been implicated when there were several other hon. members also present there .....

Mr. Speaker : The case is being investigated into and it is going to be filed in a court of law, therefore the hon. member cannot express his opinion on it.

Shri Rameshwaranand : What I want to say is that Shri Bagri was entitled to this protection. It is unfortunate not to allow entry into Parliament House to members of other parties when other members are meeting inside the Parliament House.

The second point is this that it is in a sense a no-confidence against you by the members of the ruling party because they are not happy over your decision to give protection to Shri Bagri.

Shri Parashar (Shivpuri) : Dr. Lohia says that to enter Parliament House is an ordinary right of a member of Parliament and not a privilege. Therefore according to him the question of breach of privilege does not arise.

Mr. Speaker : The first thing is whether a Member has the right of his own accord to remain within the precincts of the Parliament when Parliament is not sitting or after the time of its adjournment, whether it be five, half past five, six or seven, and how long he can stay and under what circumstances. If a Member has something to do in connection with his Parliamentary work, he is allowed to stay in the Parliament House for appropriate time after the House adjourns for the day; but when a Member wants to stay there for something which has no connection with Parliament and when the House is not even sitting, Speaker has the discretion to allow him or not to allow him. This place cannot be turned into living accommodation where a person can stay as if in a house. That is why when Shri Bagri first expressed his desire that he wanted to stay here, I said, as Dr. Lohia is saying, that upto specified time after the rising of the House, Members can stay in Parliament House when the Parliament is in session and in this case I had allowed him to stay upto seven P.M. so that if he had to do some Parliamentary work he might do it. I, therefore, called the leaders of the Opposition, consulted them and had their approval. They agreed. Now if they have changed their mind, I do not know. Nobody said anything contrary to it at that time. I am grateful to Shri Ranga that he has clarified my position. I allowed him upto seven P.M, He says that this is no concession but in my opinion this is quite a big concession. Otherwise one cannot stay here after half past five in the evening unless one has some work connected with Parliament. I cannot allow thereafter. I deliberately gave him a special concession by allowing him to stay and move about upto seven P.M. and not after that. So, as far as the hon Member is concerned my permission is only for staying upto seven P.M. He had neither asked for permission to stay after that nor he had any permission to enter.

Now the question is whether any discrimination was made in favour of the Congress Party. The Congress Party had taken my permission in writing to hold a meeting. They were having their meeting with my prior permission. These two things cannot be linked up. In one case the person concerned was allowed upto seven P.M. and after that he did not seek any permission orally or in writing. It is, therefore, not correct to say that anybody was shown partiality or there was any discrimination. It is unfair that on one hand I should give a concession to help the hon. Member, though it is quite a big concessi on I have conceded to Shri Bagri, and, on the other hand, it should be exploited so as to bring a privilege motion here and I be accused of making discrimination. The question of a privilege motion does not arise at all because no Member has the right to stay here without obtaining the Speaker's permission. When there is no sitting, no Member has any right of his own. So, that marks the end of the privilege motion.

Next comes the question of a broader issue because this question has also been raised by Shri Anthony whether I can create as sanctuary for anybody, whether the Speaker can allow any body to stay here. I can never tolerate that this House should be turned into living accommodation but it is correct to assert that this Parliament, and through Parliament the Speaker, has an overall right within the precincts of the Parliament. Mr. Anthony has raised the question of a crime committed by a Member. I want to say that so far I have received no information if Shri Bagri has commited any crime. I cannot, therefore, hold that he is a culprit and I am giving shelter to any culprit. I have no such report so far that there is a warrant against Shri Bagri or he has committed any crime. Shri Bagri himself expressed his desire to stay here and I allowed him. There is, therefore, no such question involved here that I am giving shelter to any culprit.

It may also be made clear here that my function and the function of this House is to assist the administration of law and not impede it and this House will continue to give assistance in this regard. But at the same time it is my duty to safeguard the rights and privileges of the Members. I will not tolerate any encorachment thereof. I want to tell Shri Bagri that though I have no information so far that he has committed any crime or that there is a warrant against him, this concession cannot go on for a ong time and time may soon come when I may have to say that this concession will not continue much too long.

Thirdly, I cannot tolerate that by having a cot, a table and a chair in the lawns Shri Bagri should give it a different look so as to keep it in public gaze and a few persons are assembled there ever time. I will, therefore, advise him not to do so.

The question now remains of giving such facilities as of water, lavatory etc. on humane grounds. I have looked into the whole matter, Whenever he asked for water, it was given to him. I have the report. with me. Some persons were in attendance so that whenever he needed something they brought it immediately. They were bringing water also for him. I issued an order that the lavatory nearby should be kept open all the time. When Shri Bade telephoned me , immediately rang up that he should have no inconvenience and all those facilities were given to him. This question therefore does not arise. But I cannot give these facilities for an indefinite period and therefore if I withdrow them soon, Shri Bagri should not be taken by surprise.

Shri Tyagi : I want a clarification. I would submit that you may give thought to it later and make your ruling a bit clearer. Because many members here feel that if an hon. member, after committing an offence and knowing fully well that warrants have been issued against him hides himself in the Parliament House, such an act will not reflect well on the dignity of Parliament. Such a

member should be handed over to the police on a specific request made to you by them. He should not hide himself deliberately in the Parliament House to evade arrest as it does not behave a member of Parliament.

Mr. Speaker :—I agree that we shall not uphold our dignity outside and the people outside will also doubt us if after a crime, though the Member may not believe so, but the authorities feel that he has committed a crime, he tries to take shelter here. We should not make it a sanctuary becau se that lowers our dignity.

The aquestion now is that of crime. This was also raised by Dr. Ram Manohar Lohia and some other hon. Members that there are Parliaments where a large number of culprits, who commit grave crimes, are given shelter. I cannot differeniate between one crime and the other. Whatever be the Crime, it will have the same gravity and we are not prepared to give shelter to any culprit. But, as I said, it is a fact that it is also our duty to uphold the privileges a nd the rights of this House within these precincts.

Shri Ram Sewak Yadav : Shri Bagri had no intention to hide himself in the Parliament House to escape arrest. In fact, he has been to jail several times, in connection with political offences. Here his only intention was to show to the public at large that our Parliament is a sovereign body and that Police or the Central Government has no right to interfere in the jurisdiction of Parliament. That has been proved beyond doubt today. I may inform the House through you, Sir, that Shri Bagri will leave this place this very evening and face this charge.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नियम

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं

(एक) दिनांक १४ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २४२ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (तीसरा संशोधन) नियम १९६४

(दो) दिनांक ९ मार्च १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४२८ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (पांचवां संशोधन) नियम, १९६४।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० २५४३ '६४]।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधीसमिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

सैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री कृष्ण मूर्तिराव (शिमोगा): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक-लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

बाईसवां प्रतिवेदन

श्री त्यागी (देहरादून): मैं केन्द्रीय सरकार के वित्त लेखे १९६१-६२ —लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९६३ के अध्याय १—के बारे में लोकलेखा समिति का बाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुदानों की मांगे—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी रहेगी, श्री अ० सिं० सहगल अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर कब देंगे ?

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद): अभी कितना समय शेष है ?

अध्यक्ष महोदय: २ घंटे और ५ मिनट का समय शेष है, मंत्री महोदय कितना समय लेंगे ?

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): लगभग ४० मिनट ।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा । मैं उन्हें ढाई बजे वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए कहूंगा ।

Shri A. S. Saigal (Janjgir): As I was saying Radio has proved particularly useful for the rural population. It has not only saved our folk music and folk-plays, but they have also been given a proper place in our cultural life. Radio ha therefore made an important contribution to the cultural regenration of our country.

Radio is not only the preserver and protector of our cultural and artistic legacy, it is also its exponent. The basic sentiment of our culture is worship and Radio has given voice to the sayings of Guru Nank and other prophets. I suggest that songs of Tagore and Mehr Baba also be included in its programmes.

Its entertainment programmes are equally of a high standard. There is no element of obscenity in them. It has strengthened the bonds of cultural unity by enacting the plays in all the national lanugages.

Even sports are not being ignored. Cricket match commentaries are broadcast through A.I.R.

Shri Siddeshwar Prasad (Nalanda) : I rise to support the Demands of this Ministry. In view of both the internal as well as external conditions prevalent in our country the responsibility of this Ministry has increased. therefore, appropriate measures should further be taken to meet the growing needs of the situation.

Historical and Geographical unity of the country has been achieved. This Ministry should bring suitable changes in its methods of working with a view to effect cultural as well as emotional integrity of the nation.

I feel the whole House has been dis-heartened by the way in which the working of this Ministry has been raised against by the hon. Member from Farruk habad. Unless such criticism takes a constructive shape, the important, task of nation-building is likely to be affected seriously.

The hon. Member from Rajkot has given a suggestion that A.I.R. be converted into an autonomous institution or a corporation, with which I do not agree. The Public Accounts Committee has pointed out in its Report how in an autonomous body, like the Children's Films Society, ills like misappropriation of funds are prevalent. There may be a scope for reforming some sections of the A.I.R., but we do not like it to become like the Children's Films Society.

There is enough of slackness in the News Department of the A.I.R. It should be suitably reorganised by the Government so that listeners may not have an occasion to complain.

A slackness has also been found in the A.I.R. programmes for awakening the masses. There is no peace on our borders. The movements of Pakistan and China are ever on the increase. Therefore, it is imperative, that the programmes for awakening and encouraging the masses should be all the more strengthened.

Our Rural Programmes have been widely appreciated and emulated. It is heartening to know that India has agreed to be a Member of the Asian Broadcasting Organisation. In view of the prevalent conditions, we should further strengthen our relations with the Afro-Asian nations. There ought to be a broadcasting organisation of all the independent Afro-Asian nations.

The Staff artistes should be treated more generously, than they have been treated hithertofore. The existing disparity, between the staff, working in English language and that working in other lanugages, should be removed. This disparity is against the spirit of our Constitution. We should try to approach the illiterate masses of the country through the medium of language which they can understand.

The tendency to translate from English into other languages should not be there. Encouragement should be given to the original works in Hindi and other Indian languages. We should try to create such conditions in which the work of the Ministry could be done more effectively.

Efforts should be made so that each citizen of our country may be able to take advantage of the A.I.R.

We should procure high-power transmitters so that we may be able to counter the propaganda being carried out by China and Pakistan, in Central Asia, Middle East, Far East and African countries.

If we do not set up more television Centres now, we will find it difficult to get time from International Union.

I congratulate the Minister and hope that he would keep the same tempo of work in connection with solving internal and external problems and keeping morale of the people high.

Shri Y. D. Singh (Shahabad) : There are several departments under the Ministry of Information and Broadcasting. Firstly I shall deal with Advertisement and publicity. It is a matter of concern, that out of Rs. 26,76,724 spent on advertisements, fifty per cent money was spent on English advertisement and fifty per cent in all the other Indian languages. We shall have to change this attitude, if we want to educate our masses.

[उपाध्यक्ष-महोदय पीठासीन हुए.
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Press Commission had recommended that the Govt. should help small newspapers by giving them advertisements. But that has not been implemented and big papers make the working of small papers difficult.

From the report of All India Radio it appears that out of the total allotment Rs. 12, 23,000 will remain unspent. The A.I.R. do not give proper due to their artists and other participants, with the result that good artists are reluctant to work for them. Instead of good talkers, Govt. officers are invited for giving talks. Staff artists are not given the facilities available to Govt. servants. The only way to remedy this sort of affairs is to select good artists and make them adequate payments.

There are many irregularities in the working of Press Information Bureau. Discrimination is made in the matter of distribution of news. Officers are increasing and Gazette news are reduced in the name of emergency, which is bad. Teams of correspondents of big newspapers were sent to so many places, which shows favouritism towards big papers. Regarding photo publicity, main events are left out and photos of ministers are shown. It is often seen that objectionable films are shown to Indian public. Complaints are not promptly attended to. Therefore caution should be exercised while certifying films.

It has been said that adequate literature was prepared by Publications division. I want to know how much loss was suffered on account of those publications. I support the cut motions moved by my party.

I hope the Minister will look inside these matters carefully and do the needful for getting a high power transmitter.

Smt. Kamla Chaudhri (Hapur) : It is heartening that since when the hon. Minister has taken over charge of the Ministry of Information & Broadcasting, there has been improvement in the programmes of A.I.R., Importance of Radio for awakening the Country along with war, is equal to that of defence. A.I.R. maintained the morale of the people high during emergency by broad-

casting programmes full of spirit of bravery, and gave a counter-reply to the poisonous propaganda of China. Even today the danger is continuing. It is therefore essential that we should continue special programmes to Counter the propaganda of enemies. Some cultural programmes based on ancient Indian culture are also broadcast. Similarly Dehati programmes are doing well for the rural people of the country and speak of rural development.

Dr. Lohia criticised certain social defects and said that women are beaten even today. He alleged no action in the part of A.I.R. in this respect.. But Radio uses polite language. Radio has served as a stage for dramas & plays and has helped in the development of drama & Play. By introducing regional languages into plays A.I.R. plays a great role in mutual understanding.

A.I.R. has developed a good programme of humour and satire, which is very effective in checking social defects.

I am glad to know that the minister has won the confidence of employees of his department and has been successful in procuring a high power transmitter. I shall urge upon him to give the same kind of attention towards Press Information Bureau. This Deptt. did not come up to expectation during the period of emergency.

I shall suggest for the expansion of regional programme for A.I.R. Delhi., for Haryana and Western U.P. I am glad that some good films have been produced in regional languages. We should keep one point before us that we have to raise the moral of our people and not make rich richer. With these words I support the demands of the Ministry.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मा० मंत्री के हाथों में इतना शक्ति शाली यंत्र है जिसके द्वारा उन्हें संसार के सामने भारत की समस्याएं एवं उनका ध्यान भारतीय संस्कृति मनोरंजन तथा सभा द्वारा मान्यता प्राप्त नीतियों का अनुपालन पेश करना होगा ।

मैं इस बात से सर्वथा सहमत नहीं कि रेडियो को वाणिज्यिक संगठन बना दिया जाए, क्योंकि उस अवस्था में धनी लोग इसका दुरुपयोग उठाने लग जाऐंगे ।

हमारा उद्देश्य प्रजातंत्र को बढ़ावा देना है और एकाधिकार को रोकना है । कांग्रेस के समाजवाद की कोई परिभाषा अभी तक नहीं की गई ।

इस सभा ने प्रेस परिषद् की स्थापना स्वीकार की थी । परन्तु उस काम को स्थापित करा दिया गया है । वर्तमान मंत्री ने जो विधेयक रखा है, उस में श्री गोपाल रेड्डी द्वारा रखे गये विधेयक की तुलना में कुछ कमी है । तो भी हमें प्रेस का एकाधिकार समाप्त करना है । संसार के किसी भी देश में बड़े उद्योगपतियों के हाथों में प्रेस का एकाधिकार नहीं है प्रेस परिषद् ही इस बात का निर्णय कर सकेगी कि किस का एकाधिकार है । परिषद् के गठन के प्रश्न पर इस विधेयक में कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है । सम्पादकों समेत श्रमिक पत्रकार १३ होने चाहियें और छः संपादकों से कम न हों परन्तु संपादक कौन होने चाहियें, प्रश्न यह है वास्तविक संपादक होने चाहियें जो एकाधिकारी मालिकों के प्रभाव से अपने आप को बचाने में समर्थ हों ।

विधेयक में तालिका के चुनाव का प्रश्न स्वैच्छिक बना दिया गया है । प्रेस परिषद् बनाने के पीछे यह विचार है कि प्रेस को न्यायपालिका, कार्य पालिका या विधान मंडल से स्वतंत्र होना चाहिये । धन के प्रभाव से स्वतंत्र होने की भी बात है ।

इसका उपाय मूल्य-पृष्ठ अनुसूची बताया गया था । जिसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था । जब तक ऐसा नहीं किया जाता, छोटे समाचार पत्र बड़े समाचार पत्रों का मुकाबला नहीं कर सकते। मूल्य का प्रश्न पृष्ठ संख्या के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिये ।

मुख्य न्यायाधिपति गजेन्द्रगडकर ने एक मामले में फैसला दिया है कि किसी निगम या उसके अंशधारी को संविधान के अनुच्छेद १९(१) (क) के अन्तर्गत मूलभूत अधिकारों का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता । अतः अब मान्य मंत्री को मूल्य-पृष्ठ अनुसूची को लागू करने का विचार करना चाहिये ।

एकाधिकार प्रेस विधियों का सब प्रकार का उल्लंघन कर के भी बच जाता है । अतः हमें प्रेस परिषद् की स्थापना करके इस रोग का निदान करना चाहिये ।

प्रेस परिषद् को समाचारपत्रों के लिए आचार संहित लागू करने के लिये व्यापक शक्तियां दी जानी चाहिये । धोखाधड़ी के मामले तो न्यायालय में भी जा सकते हैं ।

हमारे राज्य में साम्प्रदायिक तनाव होने के कारण वहां के समाचार पत्रों को उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिये । श्री हुमायून् कबिर जैसे व्यक्ति को पाकिस्तान का जासूस कहा गया है। अतः प्रेस परिषद में काफी अनुपात में श्रमजीवी पत्रकार रहने चाहियें। इस परिषद के व्यय के लिए समाचार पत्रों पर उपकर लगाया जाना चाहिये।

प्रादेशिक प्रचार के बारे में श्री खाडिलकर ने जो कहा है उसकी जांच की जाए। हमारे अपने संवाददाता होने चाहियें और अफ्रीका से हमें सीधे समाचार प्राप्त करने चाहियें ।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के संबंध में मंत्री जी पूर्ण रूपेण ध्यान दें । किसी भी समय उनका ठेका समाप्त कर देने से बड़ी मानसिक चिन्ता बनी रहती है । प्रो० जैदेव सिंह को एक दिन अकस्मात कह दिया गया कि अब मत आइये । ऐसी अस्थिर स्थिति को सुधारने की जरूरत है ।

महानिदेशक के पास मुगल सम्राटों के समान शक्तियां हैं, उनको रोकना चाहिये । वह कुछ चहेते लोगों को विदेश भेज देता है । आकस्मिक ठेका कार्यकर्ता दिहाड़ी के आधार पर रखे जाते हैं । और वहां पदोन्नतियां किस प्रकार की जाती हैं । इनके बारे में माननीय मंत्री को जांच करनी चाहिये। वहां कोई भत्ता नहीं, कोई नियमा, वरिष्ठ आदि नहीं है । लोगों की सेवा का बचाव, नियमितता आदि की सुविधा मिलनी चाहिये।

बंगाली आदि प्रादेशिक भाषायें गौण बन गई हैं आकाशवाणी में । परन्तु हिन्दी के बारे में कोई अच्छी बात होनी चाहिये । उस मे नाटक का उपमुख्य कैसे बन गया ? उसका चुनाव किस आधार पर हुआ है ? क्या उस में योग्य व्यक्ति नहीं थे ?

मा० मंत्री स्वतंत्र विभागीय समिति या संसदीय समिति बनाये जो इस समूचे मामले पर विचार करे और महानिदेशक की तानाशाही शक्तियों को कम करना चाहिये। उनको भारत की वास्तविक सभ्यता तथा संस्कृति का प्रदर्शन करना चाहिये ।

Shri P. L. Barupal (Ganga Nagar) : I congratulate the Hon. Minister for the all round progress made by the Ministry under his able guidance.

Before Chinese attack we were propagating non-voilence, and during emergency changed our direction, which is worth-appreciation. But sometimes our Govt. does commit mistake. We should take concrete and constructive steps to counter the propaganda carried by China & Pakistan against us. We should make up the deficiency caused by the scrapping of voice of America Agreement. We should have a factory for manufacture of televisions.

There are 80% Muslim population along the Rajsthan border who listen Pakistani Radio. We should provide high power transmitters in the border. There should be a Radio Station established at Jodhpur.

Hindi is not being given its due place on the A.I.R. Hindi and other regional languages should be given encouragement, through Radio Station.

Some members including Dr. Lohia have denied truth in news and news in truth. But that is not true. He himself suggests creation of world Radio organisation or world university but hates foreign languages.

Dr. Lohia's remarks about treatment of women by men is not in accordance with Indian culture. When he has no wife or duaghter, how can he pass such remarks about women ?

There should be cinema projectors in Panchayat or Tehsil Headquarters. Folk songs and folk tales should be given proper encouragement.

The folk dance and folk song presented in parliament House by a party of Rajasthan were not real.

श्री य० नाथ सिंह (सुन्दरगढ़) : संकटकाल की अवस्था में देश के अन्तर्गत और विदेशों में जिस प्रकार के जोरदार प्रचार की आवश्यकता थी, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय उसे करने में असमर्थ रहा है । परन्तु यदि हम इस बात की ओर समुचित ध्यान देते तो हमारा प्रचार बड़ा प्रभावशाली हो सकता है । मंत्रालय को उत्तम प्रकार के ट्रांसमिटरों और रुरकेला के लिए रेडियो स्टेशन बनाने और फिल्म कलाकारों तथा पार्श्व-गायकों के शुल्कों की उचित जांच के संबंध में दी गई सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया ।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों में तब तक समुपयुक्त सुधार नहीं हो सकता जब तक उन कार्यक्रमों से संबंधित सलाहकार समितियों में देश के विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधि नहीं होंगे । अतः उन समितियों में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि रखने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये क्योंकि वे लोग जनता की भावना को भली भांति पहचानते हैं।

समाचार पत्रों को विज्ञापन देने की सरकार की नीति भी ठीक नहीं । जितने छोटे समाचार पत्र हैं, उन की जिनकी परिचालन संख्या एक निश्चित संख्या से अधिक है, उनको सरकार विज्ञापन दे, और बारी बारी से दे, ताकि वे समाचार पत्र लाभ उठा सकें और अपने पांवों पर मजबूत खड़े हो सकें । समाचार पत्रों की उन्नति के लिए यह परमावश्यक है ।

प्रायः यह शिकायत आती है जनता और फिल्म निर्माताओं की ओर से, कि चलचित्रों में भेदभाव किये बिना, अर्थात् अच्छे और बुरे चलचित्रों का ध्यान न किये बिना ही, चलचित्रों को सेंसर कर दिया जाता है । उससे कई अच्छी चीजें छट जाती हैं यह गलत है ।

सेंसर बोर्ड में वास्तव में वे लोग होने चाहियें जो जनता की बुनियादी आवश्यकताओं, देश के आचरण नियमों और चलचित्र कला से पूर्णतः परिचित हों। तभी चलचित्रों का स्तर ऊंचा उठ सकेगा। अमेरिका में जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है हमें उस का अध्ययन करना चाहिये कि उसको भारत में किस रूप में लागू किया जा सकता है।

Shri Prakash Vir Shastri : While congratulating the minister I shall ask him to pay attention to the integrity & loyalty of employees of his ministry. Certain broadcasts were such which could be issued by China & Pakistan only. So he must ensure devoted faithfullness of employees.

Correspondent of B.B.C. in India gave a twist to the incidents connected with Hazrat Bal Durgah case and the later incidents, which is objectionable. He attached importance to the fleeing away of a few muslims into Pakistan and ignored migration of thousands of people from Pakistan into India. Minister should give serious thought over this matter.

The policy of Government regarding distribution of advertisements is defective. It should not debar those papers from advertisement, who are not in agreement with Govt's policy. At present 60% advertisements are given to English papers and only 40% to language papers. This attitude should be changed and language papers should be given more advertisements.

Government should ensure that certain newspapers should not black mail other newspapers with the help of same high ups. This tendency should be curbed.

The employees in P.T.I. should have working knowledge of Hindi and regional languages of India so that they may avoid and check wrong reporting.

The Press Commission's recommendation to form P.T.I. into a corporation has not been given effect to — Minister should look into it and should set up more news agencies, specially for Hindi and regional languages.

Hon. Minister should pay more attention to the improvement of standard of newspapers.

When Government makes a grant of Rs. 10½ lakhs to the Press Trust of India. It is their duty to ensure that correspondents of all the languages find a place in that news agency. The Press Commission had recommended unanimoulsy that the Press Trust of India should be converted into a public Corporation. It is an all-India organisation and has a monopoly in the news field. Moreover the people working in this organisation do not have any say in the affairs of this organisation. Therefore Government should pay some attention to this matter and make P.T.I. a public corporation. Other Indian language agencies working in this field should also be encouraged. The Hindusthan News Agency, particularly, has been doing its work creditably. Government should take some steps to encourage such agencies.

Hindi is going to be our official language after 1965 and English would continue as an associate language. The Ministry should therefore take steps to ensure that Hindi is put on a pedestal from where it can take the place of a official language after 1965. I want a definite answer from the hon. Minister to this when he rises to reply. The morning and evening news bulletins of A I.R should be broadcast from all the stations of the All India Radio. I would suggest that the original speeches in Indian languages should not be translated from English. The Ministry has enough staff who can prepare such speeches.

direct from the language in which these are delivered and the additional time spent on their translation can be saved.

The Urdu programmes should not be broadcast from the A.I.R. in an increasing number, because there is not much difference between Hindi and Urdu. Government should give a halt to the policy of appeasement. I know that some vested interests are working behind all these things. Such persons are taken on the Urdu Advisory Committee who are on the lists of suspects. It is not wise that high officials should give prominence to such suspected elements.

Prominence should not be given to Ministers' speeches or political news in the A.I.R. news bulletins but some light should also be thrown on social, spiritual and moral values of the country.

The timing of broadcasts to foreign countries should be such that people of these countries can listen to them easily.

The film industry should be divested of such persons whose nationalism is open to doubt. Only such films should be produced which go to build the character of our youngsters. The films Censorship Board needs tightening up so that films are censored with that object in view.

The top officers of this Ministry should not recommend some people out of the way as was done in the case of Meena Kumari in connection with a poet's symposium that was going to be held in Bombay some time back.

The playing of national anthem at the end of a film show is not a wise step, because people cannot show due respect to it at the end of a show. Similar is the case with A.I.R. programmes. The anthem there is played at the end of the programmes, and a man lying in bed is put in a predicament because the national anthem is played at odd hours. The Ministry should look into this matter and see that the national anthem is played at such a time when it can evoke the greatest response from the people.

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): श्री मसानी ने अपने कटौती प्रस्ताव में कहा है कि आकाशवाणी को एक स्वायत्तशासी निकाय बना दिया जाये यह प्रश्न पहली बार ही नहीं उठाया गया है अपितु गत १२ वर्षों में यह कई बार सभामें उठाया जा चुका है । श्री मसानी यह स्वीकार करते हैं कि आकाशवाणी ने अच्छा काम किया है । उन्होंने यह भी कहा है कि यह विभाग निष्पक्ष रूप से कार्य करता रहा है । फिर भी वे चाहते हैं कि इस पर सरकार का नियंत्रण न रहे और उनकी यह मांग उचित ही है क्योंकि जिस दल से उनका सम्बन्ध है वह दल किसी प्रकार के नियंत्रण में विश्वास नहीं रखता । उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि जहां तक आकाशवाणी का सम्बन्ध है यदि सीमाकर, उत्पादन शुल्क, तथा अन्य चीजों की आय इसकी आय में जोड़ दी जाये तो यह अपना पोषण स्वयं कर सकेगा । मैं भी इससे सहमत हूं परन्तु एक स्वायत्तशासी निकाय के लिए बड़ी परियोजनाओं के लिए धन जुटाना मुश्किल होगा ।

बड़े देशों के प्रसारण केन्द्रों की तुलना में हमारा आकाशवाणी केन्द्र अभी प्रारम्भिक अवस्था में है । अतः जब तक यह निकाय पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाता इसे स्वायत्तशासी निकाय बनाना उचित नहीं होगा । सरकार भी इस सुझाव से सिद्धान्ततः सहमत है क्योंकि आकाशवाणी के कलाकारों तथा अन्य कर्मचारियों के साथ किये गये समझौते में यह उल्लेख है कि आकाश-

वाणी के एक स्वायत्तशासी निकाय का रूप धारण करने पर वे कर्मचारी स्वतः ही उस निकाय के अधीन आ जायेंगे ।

इस प्रश्न के वित्तीय पहलू के अतिरिक्त, लोग इस विभाग के बारे में बहुत अधिक भावुक हैं, अतः देश की वर्तमान राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति में संसद् के लिये इस विभाग के नियंत्रण से वंचित होना उचित नहीं होगा । इस समय संसद् का इस विभाग पर पूर्ण नियंत्रण है और छोटी से छोटी बात की जांच की जा सकती है । और यह होना भी चाहिये । परन्तु एक स्वायत्त निकाय बनने पर इस निकाय पर उतना नियंत्रण नहीं रखा जा सकेगा ।

संकटकाल में यदि यह एक स्वायत्त निकाय भी होता तो सरकार इसे अपने हाथ में ले लेती। संकटकाल की घोषणा के तुरन्त बाद ही आकाशवाणी ने ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किये जो संकटकाल की दृष्टि से आवश्यक थे। यदि यह एक स्वायत्त निकाय होता तो ऐसा करना असंभव था। अतः मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कम से कम संकटकाल के रहते हुए उन्हें यह बात नहीं उठानी चाहिये

माननीय सदस्य ने दूसरी बात टेलीविजन के बारे में कही है। इस में कोई सन्देह नहीं कि टेलीविजन सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन का साधन है। परन्तु यदि सारे देश में इसका जाल बिछाया जाये तो करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा और देश की वर्तमान वित्तीय परिस्थितियों में यह कार्य बड़े पैमाने पर हाथ में नहीं लिया जा सकता। निस्सन्देह दिल्ली में हमने एक छोटा सा टेलीविजन लगाया है और विदेशी विशेषज्ञों ने भी यह कहा है कि वह सन्तोषप्रद ढंग से कार्य कर रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि यदि यह व्यापारिक आधार पर चलाया जाय या कोई देश इस बारे में सहायता करने के लिये तैयार हो तो ऐसा किया जा सकता है। परन्तु इस बारे में सदस्यों में मतभेद है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक आकाशवाणी का संबंध है इसके व्यापारिक आधार पर चलाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक टेलिविजन का प्रश्न है यद्यपि यह बहुत आवश्यक है परन्तु देश की वर्तमान स्थिति में इसे उच्च प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। अतः यह मामला उसी अवस्था में है। यदि सभा इस बारे में कोई निर्णय करती है और सरकार भी इसे प्राथमिकता देने का निर्णय करती है तो हमें इन दोनों में से कोई रास्ता अपनाना होगा। जहां तक मेरे अपने मत का प्रश्न है यदि मुझे यह विश्वास हो जाता है कि टेलीविजन से बहुत अधिक लाभ होने वाला है तो यदि कोई इसकी जिम्मेदारी लेता है तो भी मैं इसका समर्थन करूंगा। मैंने इस पर बारीकी से विचार नहीं किया है अतः मैं अपना मत प्रकट नहीं कर सकता। मैं इस बारे में दूसरों के विचार जानने के लिये सदैव तैयार हूं। यदि मुझे विश्वास हो जाये कि टेलीविजन वास्तव में बहुत लाभकारी है तो मैं इसके पक्ष मे अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न करूंगा।

मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि स्टाफ कलाकारों की दशा दयनीय है। कुछ समय पहले एक विभागीय समिति नियुक्त की गई थी जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कुछ राहत दी गई थी। लगभग एक वर्ष पहले एक अन्य विभागीय समिति बनाई गई थी। कुछ समय पहले ही मुझे उसका प्रतिवेदन मिला है। इस समिति की कुछ सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और वित्त मंत्रालय को भेज दी गई हैं क्योंकि उनमें कुछ वित्तीय प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं। जो कुछ किया गया है मैं उससे पूर्णतया संतुष्ट हूं। इस मामले में आगे जांच की जा रही है। इस मामले में कुछ देरी हो गई है क्योंकि गत सात, आठ सप्ताह से यह मंत्रालय बिना किसी सचिव अथवा संयुक्त सचिव के कार्य कर रहा है।

इन स्टाफ कलाकारों में से कुछ ऐसे हैं जो हमारे कर्मचारी तो अवश्य हैं परन्तु उन्हें कलाकार नहीं कहा जा सकता। अतः इन दोनों को अलग करना जरूरी है।

श्री त्यागी : स्थिति का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये। यह कैसे हुआ कि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय बिना किसी सचिव अथवा संयुक्त सचिव के कार्य कर रहा है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं माननीय सदस्यों को केवल यह बता रहा था कि इस स्थिति के कारण इस मामले में कुछ देरी हो गई है। मुझे आशा है कि ये नियुक्तियां शीघ्र ही हो जायेंगी।

जहां तक ट्रांसमीटरों का संबंध है इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि हमें अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटरों की बड़ी संख्या में आवश्यकता है। हम आकाशवाणी का प्रसारण कार्य बढ़ाना चाहते हैं। हमारे रास्ते में मुख्य बाधा यह है कि ट्रांसमीटर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। कुछ हाल ही में लगाये जाने हैं। कुछ ट्रांसमीटरों के लिये जो तीसरी योजना में सम्मिलित किये गये थे अभी विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं की गई है। इन सब को ध्यान में रखते हुए भी तीसरी योजना में हम २००० किलोवाट से आगे नहीं जा सकेंगे। चीन के बारे में हमें रहस्य के अभेद्य पर्दे के कारण कोई निश्चित जानकारी नहीं है परन्तु ऐसा अनुमान है कि चीन के पास ३०,००० किलोवाट की क्षमता के ट्रांसमीटर हैं। अतः इस बारे में हमारा और चीन का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर प्राप्त करने के लिये हमने शीघ्र कदम उठाये परन्तु माननीय सदस्यों को पता है कि 'वाइस आफ अमरीका' सौदे को हमें समाप्त करना पड़ा। और इस कारण एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर प्राप्त करने में इतनी देरी हुई। एक ऐसा ट्रांसमीटर प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। मैं वित्त मंत्री का आभारी हूं कि वे इसके लिये काफी विदेशी मुद्रा मंजूर करने के लिये सहमत हो गये हैं। इसके लिये टेंडर मांगे गये हैं और वे २४ मार्च को खोले जायेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो मेरे मंत्रालय के कुछ अधिकारी सौदे को अन्तिम रूप देने के लिये संबंधित देश को भेजे जायेंगे क्योंकि हम अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहते। मुझे बताया गया है कि एक पूर्वी युरोप के देश के पास ८०० किलोवाट के ट्रांसमीटर हैं अतः यदि हमारे विशेषज्ञ उनसे सन्तुष्ट हो जाते हैं तो हम १००० की बजाय ८०० किलोवाट का ट्रांसमीटर ही खरीद लेंगे क्योंकि हम इसे प्राप्त करने में विलम्ब नहीं करना चाहते।

माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि पश्चिम एशिया के लिये भी हमें एक शक्तिशाली टांसमीटर चाहिये। इस समय हमें दक्षिण पूर्वी एशिया तथा अफ्रीका के देशों के लिये एक टांसमीटर चाहिये और हम उसे शीघ्र ही प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : क्या रूस द्वारा भी कोई पेशकश की गई है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे इसका पता नहीं है। टेन्डर मंगाये गये हैं और उन्हें अभी तक खोला नहीं गया है। हमने केवल रुपये में भुगतान करने वाले देशों से टेंडर मंगाये हैं।

वैदेशिक प्रचार के बारे में कुछ अच्छे सुझाव दिये गये हैं। परन्तु माननीय सदस्यों को पता है कि मेरे मंत्रालय का वैदेशिक प्रचार से कोई सरोकार नहीं है। वैदेशिक कार्य मंत्रालय के देश में प्रचार के बारे में यह शिकायत की गई है कि समाचार देर से दिये जाते हैं परन्तु १९५८ के पश्चात सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय देश में प्रचार के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं है। फिर भी हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और इन दोषों को शीघ्र ही दूर कर दिया जायेगा और अधिक समन्वय

स्थापित कर दिया जायेगा ताकि महत्वपूर्ण समाचारों के देने में देरी न हो सके। मैं माननीय सदस्य श्री हेम बरूआ को बताना चाहता हूं कि कभी कभी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे प्रकाश में लाना उचित नहीं होगा। क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं का यदि प्रचार किया जाये तो उससे देश में उत्तेजना फैल सकती है और ऐसा करना हमारे देश के हित में नहीं होगा। हमें अपने विदेशी प्रचार द्वारा विश्व के लोगों को यह बतलाना है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों को यह प्रचार कार्य अधिक तत्परता से करना चाहिये और इस पर जितनी धन राशि भी खर्च हो वह खर्च की जानी चाहिये क्योंकि आज के युग में प्रचार द्वारा ही अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : मंत्री महोदय ने कहा है कि साम्प्रदायिक उत्तेजना के डर से कुछ बातों को प्रकाश में लाना उचित नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि जब वे इसे विदेशों में अधिक प्रचार देना चाहते हैं तो फिर इससे कैसे बचा जा सकता है।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैंने कहा है कि ऐसी बातों को प्रकाश में नहीं लाया जायेगा। हम सब को पता है कि पाकिस्तान की ऐसी कार्यवाहियों को प्रकाश में लाने से हमारे देश में क्या स्थिति पैदा हो सकती है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : परन्तु ऐसे समाचारों को अपने देश के लोगों से छिपाना कहां तक उचित होगा ?

श्री सत्य नारायण सिंह : उनका कहना ठीक है। माननीय सदस्य श्री हेम बरुआ ने शिकायत की है कि गारो पहाड़ियों में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के प्रव्रजन के बारे में उचित रूप से प्रचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म डिविजन अथवा प्रेस सूचना विभाग ने उस ओर उचित ध्यान नहीं दिया है। मैंने इस मामले की जांच की है और मैं यह बताना चाहता हूं कि फिल्म डिवीजन ने किसी अन्य विदेशी अभिकरण की तुलना में इस बारे में न्यूज रील काफी पहले तैयार कर ली है। फिल्म डिवीजन का एक एकक इस विषय पर एक वृत्तान्त चित्र तैयार करने के लिए गारो पहाड़ियों में कार्य कर रहा है। एक प्रेस प्रतिनिधि-मंडल भी जिसमें विदेशी संवाददता भी शामिल हैं, वहां भेजा गया है ताकि पाकिस्तान द्वारा किये गये अत्याचारों की जानकारी सारे संसार को हो सके। श्री हेम बरुआ ने पी० टी० आई० के जिस प्रतिनिधि की ओर निर्देश किया था वह भी उस प्रतिनिधि-मंडल का सदस्य था। इसके अतिरिक्त प्रेस सूचना विभाग ने अपने दो अधिकारियों को मुख्य लेख तैयार करने के लिए वहां भेजा और सूचना विभाग ने फोटोग्राफ़ों की १००० से अधिक प्रतियां भारतीय प्रस को दीं और ७२० फोटोग्राफ विदेशों में प्रचार के लिये वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को दिये।

श्री त्यागी : क्या वह फिल्म किन्हीं और देशों में भी प्रदर्शित की गई है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : न्यूज रील तैयार है परन्तु इन्हें विदेशों में अपने दूतावासों को भेजने से पहले वैदेशिक कार्य मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है।

श्री हेम बरुआ ने कहा कि यह मंत्रालय पांच मंत्रालयों पर निर्भर है। यह ठीक नहीं है। इस तरह तो प्रत्येक मंत्रालय ही किसी न किसी मंत्रालय पर निर्भर करता है। उन्होंने इस मंत्रालय की द्रोपदी से उपमा की। मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि हम बहुपतित्व में विश्वास नहीं रखते अपितु बहुपत्नीत्व में विश्वास रखते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या वे बहुपत्नीत्व की नीति का अनुसरण करना चाहते हैं जबकि संसद् ने यह निर्णय किया है कि एक से अधिक पत्नी रखने की मनाही है।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि देश के कुछ भागों में लोगों की अभी भी एक से अधिक पत्नियां होती हैं।

जब से मैंने सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का भार संभाला है मैं प्रेस में उत्पन्न हुई प्रवृत्तियों के बारे में चिंतित हूं। गत दशाब्दी में स्वतन्त्र प्रेस के विकास में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां अनुभव की गई हैं जिसके बारे में सरकार तथा जनता दोनों चिंतित हैं। हम इस प्रवृत्ति को पनपने देना नहीं चाहते कि समाचार पत्र उद्योग कुछ ही लोगों के हाथों में चला जाये। यह देखा गया है कि बड़े समाचार पत्र शनैः शनैः बड़े उद्योगपतियों के अधिकार में आते जा रहे हैं। भारतीय समाचार रजिस्ट्रार के १९६३ के प्रतिवेदन में इस बात की झलक मिलती है। मेरा मंत्रालय इन प्रवृत्तियों के बारे में अवगत है और इन्हें दूर करने के लिए समय समय पर कदम उठाये गये हैं। संभव है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जो एकाधिकार आयोग नियुक्त किया जा रहा है वह इन बातों की जांच करेगा और इस बारे में कुछ सुझाव देगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : फिर एक अन्य समिति नियुक्त की जा रही है।

श्री सत्य नारायण सिंह : वास्तव में यह कार्य प्रेस परिषद् के माध्यम से किया जायेगा। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि लोकतंत्र के स्वस्थ विकास के लिये यह आवश्यक है कि छोटे समाचार पत्रों को बढ़ावा दिया जाये और विचार-व्यक्त करने के इस साधन को अधिक विस्तृत बनाया जाये। देश के राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन पर बड़े समाचारपत्र समूहों के प्रभाव को कम करने के लिए छोटे तथा भारतीय भाषाओं में निकलने वाले पत्रों को निरन्तर प्रोत्साहन देना होगा। इसी दृष्टि से छोटे समाचारपत्र भी सरकार पर यह दबाव डालते रहे हैं कि वह छोटे पत्रों विशेषकर भारतीय भाषाओं में निकलने वाले पत्रों तथा पत्रिकाओं के स्वस्थ विकास के लिये कदम उठायें। मैं छोटे समाचार पत्रों की कठिनाइयों से अवगत हूं। मैं इस बात से भी अवगत हूं कि आगामी २० वर्षों में समाचारपत्र पढ़ने वालों की संख्या में बहुत वृद्धि हो जायेगी। हिन्दी भाषा के राष्ट्र भाषा बनाये जाने पर तथा राज्यों द्वारा प्रादेशिक भाषाओं को राजकीय भाषा बनाये जाने पर अंग्रेजी के पत्रों का प्रभाव कम हो जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकसित होने पर भी छोटे पत्रों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है।

श्री आर० आर० दिवाकर की अध्यक्षता में गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक समिति बनाने का निर्णय किया गया है जो छोटे तथा भाषा पत्रों के विकास सम्बन्धी समूची समस्या का सर्वेक्षण करेगी। यह समिति चार मास के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। आशा है कि इस समिति के सुझाव काफी लाभदायक सिद्ध होंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे यह जानकारी नहीं है परन्तु कुछ संसद्-सदस्य इसमें अवश्य लिये जायेंगे।

छोटे पत्रों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ हमें यह भी देखना है कि लोगों को समाचार-पत्रों में जो लेख पढ़ने को मिलें वे अच्छे हों। अतः उच्च कोटि के समाचारपत्रों का होना आवश्यक है। विश्व के उच्च कोटि के पत्रों की तुलना में हमारे उच्च कोटि के पत्रों की आर्थिक दशा अधिक संतोषजनक नहीं है। ऐसे पत्र निकालने के लिए करोड़ों रुपयों की आवश्यकता है। चूंकि समाचार पत्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसे सरकारी क्षेत्र में नहीं चलाया जा सकता अतः मेरा सुझाव है कि सहकारी समितियों अथवा न्यासों को अच्छे पत्र निकालने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये। सहकारी समितियां भी इस कार्य में अधिक सफल नहीं रही हैं अतः कोई न्यास यह कार्य कर सकता है।

{अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}
{**Mr. Speaker** *in the Chair*}

कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था है कि समाचारपत्र उद्योगपति कोई अन्य उद्योग नहीं चला सकते। हमारे देश में भी "अमृत बाजार पत्रिका", "हिन्दू" तथा "जन्म भूमि" आदि ऐसे पत्र हैं जो प्रकाशन गृहों द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं और मेरी राय में ये प्रकाशन गृह कोई अन्य उद्योग नहीं चलाते। परन्तु सहकारी समिति या न्यास बना कर ही वे आगे आ सकते हैं।

एक सुझाव यह दिया गया है कि बड़े समाचारपत्रों के सम्पादकों को पत्र की नीति से विलग पूर्णतया स्वतन्त्र रूप से काय करने की अनुमति होनी चाहिये और बड़े पत्रों के स्वामियों की इस बारे में सहमति प्राप्त करनी चाहिये। मेरे विचार से इससे कुछ सीमा तक यह समस्या हल हो सकती है। परन्तु यह भी आपत्ति उठायी जाती हे कि जिन राजनीतिक दलों ने पत्रों पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया है उनकी गतिविधियों को कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि ऐसे पत्र प्रायः अपने दल की नीति तथा सिद्धान्तों का ही प्रचार करते हैं। अतः इन सब कठिनाइयों को देखते हुए प्रेस परिषद् ही केवल मात्र इसका एक हल है। प्रेस आयोग ने भी यही सुझाव दिया था। अतः प्रेस परिषद् की स्थापना करने के लिए हमें सभा के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत करना पड़ेगा और हो सकता है कि संविधान में भी कोई संशोधन करना पड़।

माननीय सदस्या तथा सभा के अन्य सदस्यों को पता है कि प्रेस परिषद् विधेयक के रास्ते में बहुत बाधायें आईं। ५ वर्ष तक इस पर कोई कार्यवाही न की जा सकी। अब हमें इस बारे में कुछ सफलता मिली है और राज्य सभा में यह विधेयक पुरः-स्थापित कर दिया गया है। इस मामले में इतनी देरी के लिये सरकार उतनी जिम्मेदार नहीं है जितने कि समाचार पत्रों से सम्बन्धित व्यक्ति। आशा है कि हम श्रमजीवी पत्रकारों तथा बड़े समाचार पत्र स्वामियों के बीच मतभेदों को दूर करने में सफल होंगे और शीघ्र ही यह विधेयक पारित कर दिया जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने भेदभाव की बात की है। मेरा निवेदन इस बारे में यह है कि बहुत सी इस दिशा में की गयी आलोचना निराधार है। यह ठीक है कि इससे पूर्व विज्ञापनों का बहुत सा

[श्री सत्य नारायण सिंह]

अंश अंग्रेजी अखबारों को दिया जाता था। परन्तु अब स्थिति बदल गयी है। अब तो ५१ प्रतिशत विज्ञापन भाषाई अखबारों को जाने लगे हैं। वर्गीकृत विज्ञापन ३३ प्रतिशत भाषायी पत्रों में जा रहे हैं। अतः भेदभाव की बात तो निराधार है, परन्तु एक बात जरूर है कि कई बातों में एक दम परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। परन्तु जितना भी हालात के अनुसार सम्भव है वह किया जा रहा है। जब से भी मैंने मंत्रालय को लिया है एक बात का पूर्ण निश्चय किया है कि किसी भी दबाव को नहीं माना जाएगा। चाहे वह दबाव राजनीतिक हो अथवा कोई अन्य। सी० आई० एस० के लोगों को परीक्षा देने के झंझट से मुक्ति दिलवाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

प्रकाशन विभाग के बारे में भी आलोचना की गयी है। बहुत सी यह आलोचना भी निराधार ही है। यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं कि सभी पत्रिकायें अंग्रेजी में छपती हैं। ५० लाख पत्रिकाओं में से केवल ५ लाख अंग्रेजी में छपी हैं, बाकी सब की सब देश की अन्य १४ भाषाओं में प्रकाशित की गयी हैं। सीमा संबंधी प्रचार के बारे में कहा गया है कि वह बहुत कमजोर है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में हमने अपने ट्रांसमिटरों तथा रेडियो को शक्तिशाली बनाने का यत्न किया है। इसको अब और अधिक उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इस बारे में हमने योजना तैयार की है और उसके लिए वित्त मंत्रालय की स्वीकृति मिलते ही कच्छ से कोहिमा तक प्रचार का व्यापक कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। बहुत से प्रचार कार्यालय सीमा पर खोल दिए जायेंगे।

अब मैं फिल्म विभाग की बात करता हूं। इस बारे में कुछ आलोचना की गयी है। कई बातों की ओर मेरा ध्यान व्यक्तिगत रूप से दिलाया गया है। मैंने फिल्म निर्माताओं का ध्यान इस ओर दिलाया है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि हमें अपनी फिल्मों के बारे में, तथा उनकी भाषा और गीतों के बारे में बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि अशिष्टता को रोकना बड़ा जरूरी है। परन्तु हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि फिल्में जनता के मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं। उनके प्रति कट्टरता की नीति अपनाना बुद्धिमत्ता नहीं कहा जा सकता। प्रेम और श्रंगार रस की हर बात को तो बुरा नहीं कहा जा सकता। हमारे धर्म ग्रन्थों तथा संस्कृति के अनुसार भी स्थिति ऐसी ही है।

मैं फिल्म सैंसर की बात बड़ी गम्भीरता से कर रहा था। बोर्ड के लिए मुझे किसी इसी तरह के व्यक्ति की तलाश थी कि जो बीच का रास्ता अपना सके। न अधिक पुराने विचारों का ही हो और न ही सब कुछ चलने चलाने के पक्ष में हो। यह ठीक है कि फिल्म से कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए परन्तु मुख्य लक्ष्य मनोरंजन ही है।

"वायस आफ अमरीका" के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सौदा अन्तिम रूप में समाप्त कर दिया गया है। जैसा कि माननीय मित्र श्री हेम बरूआ ने मेरा ध्यान आकृष्ट करवाया है, सरकार आसाम में गुप्त ट्रांसमीटर के होने के बारे में पूरी जांच करेगी और इस प्रकार की पूरी व्यवस्था की जाएगी कि वह ट्रांसमीटर अपना काम न कर सके। उसके बारे में पूरी कार्यवाही की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं

The following Demands in respect of Ministry of Information and Broadcasting were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपए
६१	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	१४,३२,०००
६२	प्रसारण	५,४१,८०,०००
६३	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	४,२२,१८,०००
१३०	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	१,९३,१७,०००

श्रम और रोजगार मंत्रालय

वर्ष १९६४–६५ के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयी

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७०	श्रम और रोजगार मंत्रालय	२७,११,०००
७१	मुख्य खान निरीक्षक	३१,९२,०००
७२	श्रम और रोजगार	१०,३४,०१,०००
७३	श्रम और रोजगार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	१३,६७,०००
१३४	श्रम और रोजगार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	३,४०,०००

श्रम और रोजगार मंत्रालय की मांगों के सम्बंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७०	१	श्री अल्वारेस	संगठन और रोजगार की दिशा में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए ।
७०	२	श्री ह० च० सोय	आदिम जाति श्रमिकों के शोषण को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७०	३	श्री ह० च० सोय	सीमेंट मजूरी बोर्ड के निरीक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
७०	४	श्री ह० च० सोय	बिहार में आदिवासी श्रमिकों के शोषण को रोकना	१०० रुपये
७०	६	श्री दीनेन भट्टाचार्य	रोजगार दफ्तरों द्वारा भर्ती करने के बाध्य करने में में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया की जाए ।
७०	७	श्री दीनेन भट्टाचार्य	बढ़ रही बेकारी को रोकने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए ।
७०	९	श्री दीनेन भट्टाचार्य	इंजीनियर उद्योगों के स्थापित किए जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७०	८	श्री दीनेन भट्टाचार्य	उद्योगों में कम से कम मजदूरी निर्धारित करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए
७०	१०	श्री दीनेन भट्टाचार्य	कृषि श्रमिकों की कम से कम मजूरी निर्धारित करने में असफलता	१०० रुपये
७०	११	श्री दीनेन भट्टाचार्य	औद्योगिक श्रमिकों के संरक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
७०	१२	श्री दीनेन भट्टाचार्य	श्रमिक संघ के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पग उठाने की आवश्यकता.	१०० रुपये
७०	१३	श्री दीनेन भट्टाचार्य	बहुसंख्या का विश्वास प्राप्त कार्मिक संघों को मान्यता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७०	१४	श्री दीनेन भट्टाचार्य	उद्योगों के श्रमिकों को उपदान देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७०	१५	श्री दीनेन भट्टाचार्य	अदालतों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णय को कार्यान्वित न करने पर सजा देने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
70	16	Shri Ram Sewak Yadav	Rural unemplyment problem	Rs. 100
७०	१८	श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	चीजों पर लाभ देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७०	१७	श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	श्रमिकों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव	१०० रुपये
७०	१९	श्री लक्ष्मीम ल्ल सिंघवी	लाभांश आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति	१०० रुपये
७०	२०	श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	कार्मिक संघों को मान्यता	१०० रुपये
७०	२१	श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों में कमी	१०० रुपये
७२	२२	श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	रोजगार दफ्तरों की प्रक्रिया	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए ।
७२	२३	श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	शिक्षित बेरोजगारों की समस्या	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए ।
७२	२४	श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	रोजगार नीति	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए ।
७२	२५	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	रोजगार दफ्तरों का कार्य	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए ।
७२	२६	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	मूल्य अनुसूची कायम रखना	१०० रुपये
७२	२७	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों की हालत	१०० रुपये
७२	२८	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा संबंधी सिफारिशों को कार्यान्वित करना	१०० रुपये

अध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : श्रम मंत्रालय का प्रतिवेदन हमारे सामने है । बताया गया है कि श्रम के क्षेत्र में सब ठीक है । परन्तु वास्तव में स्थिति इसके बिलकुल विपरीत है । औद्योगिक समझौता संकल्प में सरकार ने कीमतों को ठीक स्तर पर रखने का आश्वासन दिया था । परन्तु सरकार कीमतों की वृद्धि को रोकने में असफल रही है । और उसने औद्योगिक शान्ति संकल्प का उल्लंघन किया है । बढ़ते हुए दामों ने जनसाधारण के कार्यकर्ताओं के पारिवारिक आय व्ययक में आने वाले अधिकांश पदार्थों के दाम गत एक वर्ष में १५ से ४० प्रतिशत तक बढ़ गये हैं । देश भर में स्थिति इस कारण और भी भयानक हो गई है कि देश में जमाखोरी और चोरबाजारी जोरों पर है, जिसके कारण खाद्यान्न की कमी के लिये मौसम को दोष दे कर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होने का प्रयत्न करती है और उनका कार्यकर्त्ताओं के लिये कोई चिन्ता प्रकट नहीं करती जिनका मुनाफाखोरों और चोरबाजारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है । ३५० या अधिक कर्मचारियों वाली फैक्टरियों में कोई सस्ती या उचित दामों वाली दुकाने नहीं खोली गई हालांकि सरकार ने एसा करने की प्रतिज्ञा की थी ।

यह भी तथ्य की बात है कर्मचारियों की उपेक्षा नियोजक औद्योगिक संधि का उल्लंघन अधिक कर रहे हैं । सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपाक्रमों में भी कोई ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न नहीं किया कि कार्यकर्ताओं के वेतन को निर्वाह लागत के साथ जोड़ दिये जाएं । श्रमजीवी वर्ग निर्वाह लागत सूचकांक का संकलन करने की प्रणाली गलत है और इससे वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता । एक विशेषज्ञ समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि बम्बई का सूचकांक बास्तविक आंकड़ों से २९ बिन्दु कम है और अहमदाबाद का सूचकांक १९ बिन्दु कम है । पारिवारिक बजट में आने वाली कुछ वस्तुएं उन आंकड़ों पर स्थिर दिखाई गई हैं, जो दस वर्ष या उससे पहले के आंकड़े हैं । इस प्रणाली में संशोधन करना चाहिये और कर्मचारी संघों, विशेषकर ए० आई० टी० यू० सी० का सहयोग सूचकांक का संकलन करने के काम में प्राप्त किया जाना चाहिये ।

निर्वाह व्यय की वृद्धि को पूरा करने का एकमात्र उपाय यह है कि या तो वेतन में २५ प्रतिशत तक वृद्धि कर दी जाए या उसी अनुपात में कीमतों को कम किया जाए । उद्योग के कुछ क्षत्रों में नियत न्यूनतम मजूरी, कीमतों के तेजी से बढ़ने के कारण, पुरानी हो गई है उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये और जहां न्यूनतम मजूरी अभी तक निर्धारित नहीं की गई है उन क्षेत्रों में निर्धारित की जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*

बेकारी की समस्या दिन प्रति दिन अधिकाधिक गम्भीर होती जा रही है, रोजगार दफ्तरों द्वारा जो आंकड़े बताये जाते हैं वे वास्तविक स्थिति का सही चित्र है । मालिक लोग जिनके स्थान खाली होते हैं उन सब की सूचना रोजगार दफ्तर को नहीं देते । और न ही वह ८९ दिनों के लिए किसी को नियुक्त करके, अपने संविदित दायित्व का पालन करते हैं । यह बात गत सत्र में भी सदन के समक्ष आई थी कि पश्चिमी बंगाल में विविध उद्योगों में कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव किया जाता है । सरकार को इस भेदभाव की जांच पड़ताल करनी चाहिए । पश्चिमी बंगाल विधान सभा में भी यह मामला आया था परन्तु इसका कोई हल नहीं निकाला गया ।

आपातकाल का लाभ उठा कर गैर सरकारी नियोजकों ने अपना मुनाफा बढ़ा लिया है। उदाहरणतः एस्सो का १९६१-६२ का मुनाफा ३२६.४० लाख रुपया था जब कि १९६२-६३ में ३७६.२५ लाख रुपया था। इसी तरह इंडियन आयरन ओर का ५२३ से ५५५ लाख रुपया हो गया है। इस मुनाफे में श्रमिकों का हिस्सा १९५१ में १६.२८ प्रतिशत था जो १९६१ में १३.७९ प्रतिशत रह गया। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन की भी प्रतिशतता कम हुई है।

सरकार ने दूसरी योजना में आश्वासन दिया था कि इंजीनियरी उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड की स्थापना की जायगी किन्तु यह बचन अभी तक पूरा नहीं किया गया। इंजीनियरी उद्योगों में ३७ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख श्रमिक काम करते हैं और यदि पटसन तथा कपड़ा उद्योगों में मजूरी बोर्ड स्थापित किये गये हैं तो इंजीनियरी उद्योग में क्यों नहीं ?

बोनस आयोग पर इतना पैसा खर्च किया गया है और अब उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है किन्तु सरकार उस पर अमल करने की बजाय कहती है वह उसकी पूरी जांच करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसकी जांच इस सत्र में पूरी हो जायगी और श्रमिकों को इस वर्ष से लाभ प्राप्त हो जायगा ?

पटसन मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को भी आंशिक रूप में ही लागू किया गया है और अस्थायी श्रमिक इसके लाभ से वंचित हैं। आंध्र प्रदेश के दो कारखानों में इसी कारण हड़ताल है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिये।

राज्य कर्मचारी बीमा के अन्तर्गत श्रमिकों के परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलतीं और उन्हें दवाई और छुट्टी के पैसे लेने के जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।

नियुक्त कारखानों में श्रमिकों को भविष्य निधि से ऋण देने की व्यवस्था नहीं है अतः वे अधिक ब्याज पर ऋण लेते हैं। उनके लिए ऋण की व्यवस्था करनी चाहिये।

लोहे का नियंत्रण हटाने से इस उद्योग के कर्मचारियों को बहुत कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। कलकत्ता में संभवतः उन्हें फालतू घोषित कर दिया गया है। सरकार को मामले की जांच करनी चाहिये।

रिपोर्ट के अनुसार यह ठीक है कि हड़तालों में कमी हो गई है किन्तु श्रमिक अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्हें अधिकार दिये जायें इससे सारे देश को लाभ होगा। वस्तुओं के मूल्य कम होने चाहियें और श्रमिकों के वेतन में २५ प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिये।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : मैंने श्री भट्टाचार्य के भाषण को सुना है। उसमें श्रमिकों के हित के पीछे राजनैतिक भावना भी है। 'आयटक' अपनी विशिष्ट विचारधारा के आधार पर काम कर रही है। वे इसी कारण सरकारी समिति में शामिल नहीं हुए क्योंकि वहां उनकी करतूतों की चर्चा की जानी थी। मेरे मित्र ने कहा कि अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस संघर्ष की तैयारी कर रही है उसका कारण यह है कि ३ नवम्बर, १९६२ से औद्योगिक संधि संकल्प पारित किया गया जिसे क्रियान्वित करने के लिए वे तभी से तैयार नहीं। अब साम्यवादी कहने लगे हैं कि आपातकाल समाप्त कर दिया जाय। मुझे आशा है कि जब संघर्ष का समय आयेगा तो श्रमिक साम्यवादियों के चंगुल में नहीं फंसेंगे।

[श्री अ० प्र० शर्मा]

मैं श्री सेंजीवैय्या का श्रम मंत्री के रूप में स्वागत करता हूं । आशा है मंत्रालय के उनके बहुमुखी अनुभव का लाभ होगा । उन्हें अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना होता है अत: इसके लिए उन्हें समर्थ बनाते हुए सभा को पूरा समर्थन देना चाहिये ।

सरकारी क्षेत्र में श्रम नीति के सम्बन्ध में मुझे कहना पड़ता है कि रेलवे मंत्रालय उसका पालन नहीं कर रहा है ।

सभी मंत्रालय इस बात पर बल देते हैं कि श्रमिकों की शिकायतें दूर करने के लिए उनकी अपनी व्यवस्था सफल हो ।

रेलवे में डिवीजन, महाप्रबंधक और रेलवे बोर्ड के तीन स्तरों पर शिकायतों को दूर किया जाता है और उनकी विफलता पर मामला न्यायाधीश को सौंपा जाता है । किन्तु हमारे अनुरोध पर भी किराया मकान का मामला न्यायाधिकरण को नहीं सौंपा गया । रेलवे को मध्यस्थता की व्यवस्था स्वीकार करनी चाहिये अन्यथा श्रमिकों के हितों को हानि होगी ।

सरकारी उद्योग क्षेत्र में किसी भी संगठन ने ह्विटले कौंसिल को स्वीकार नहीं किया । हमारा तो मंत्री महोदय से निवेदन है कि बजाय इसके हम हड़ताल न करने का आश्वासन दें सरकार को हड़ताल अनावश्यक बना देनी चाहिये । यह मध्यस्थता की व्यवस्था स्वीकार करने पर ही हो सकता है ।

सरकार ने सभी पंचवर्षीय योजनाओं में इस मुख्य नीति को स्वीकार किया है कि उपक्रमों के प्रबंध में श्रमिकों को हिस्सा मिलना चाहिये । सरकार ने इस कारण कि देश का अनुभव पर्याप्त नहीं इस पहलू का अध्ययन करने के लिए विष्णु सहाय समिति को विदेश भेजा था । उसने १९५६ में प्रतिवेदन दे दिया था । किन्तु रेलवे और अन्य बड़े बड़े सरकारी उद्योगों में श्रमिकों द्वारा प्रबंध में सहयोग की व्यवस्था नहीं की गई ।

भारतीय राष्ट्रीय मजदूर सेवा कांग्रेस और भारतीय रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय संघ ने मूल्य वृद्धि की समस्या का विवेचन किया । उनका कहना है कि यह शहरी और ग्रामीण जन संख्या के हितों का संघर्ष है । अत: नगरों की २१ प्रतिशत आबादी को राज्य सहायता प्राप्त मूल्यों पर वस्तुओं का संभरण करना चाहिये । इस पर कुछ करोड़ रुपया खर्च करने से किसान को भी उचित मूल्य मिलेगा और मूल्य भी गिर जायेंगे ।

अन्त में मुझे निवेदन करना है कि यदि सरकार इन बातों की ओर नहीं ध्यान देगी तो आगामी संकट में अवांछित तत्वों को ही लाभ होगा ।

Shri H. C. Soy (Singhbhum) : It is a matter of happiness that industries are being established in the south eastern region *i.e.* in Rourkela, Durgapur etc.,but the people evicted from the lands have not been resettled so far. They should be provided with employment in these industries. Ministry should also consider that people working in the industries are not retrenched, and specific amount should be allocated so that those who are retrenched are properly rehabilitated. When the factory was at Ranchi it was assured by the Minister that posts carrying salary upto Rs. 500 will be filled by the local people. But this assurance was not fulfilled and on this account distrubances had occurred at several factories. Government should look into such cases.

It was decided in the year 1962 that the system of contract labour will be abolished. But this system still prevails in the Railways which is the biggest public undertaking. The recruiting agents indulge in malpractices and also in immoral traffic. Government should investigate such cases.

There has been a demand for a wage board in the Bidi Industry since long. Bidi workers should be relieved of the exploitation at the hands of the employers and the wage Board should be established.

In Kainite mining the Companies force their labour to steel the kainite of other Companies. Moreover several of these companies do not adhere to the labour laws and do not pay wages of the holidays on Independence Day and the Republic Day.

The workers seeking service in the railways should not be asked to produce character certificates from gazetted officers. They may be allowed to produce these certificates from the representatives of the people.

श्री अल्वारेस (पंजिम) : आशा है कि इस मंत्रालय के नये मंत्री को जो अनुभव प्राप्त है उससे वे मूल नीति में नवीनता लायेंगे ।

मूल्यों में वृद्धि और श्रमिकों की मजूरी में कमी की इस स्थिति का कारण यह है कि श्रमिक आंदोलन को नई दिशा की आवश्यकता है । सरकार मूलभूत नीतियों पर पुनर्विचार करे तो श्रमिक आंदोलन को बहुत लाभ होगा ।

लोकतंत्र में श्रमिकों का बहुत महत्व होता है अतः संगठित श्रम की समस्याओं का ही मैं उल्लेख करूंगा । ये समस्याएं हैं औद्योगिक श्रम की एकता, सरकारी नीति, गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों सम्बन्धी दोहरी नीति, मजूरी की नीति, श्रमिकों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व, और रोजगार सम्बन्धी नीति ।

श्रम संगठन की पद्धति को सरकार ने बहुत हानि पहुंचाई है । जब से कांग्रेस ने श्रम आंदोलन में अपना अलग संगठन बनाने का निश्चय किया है तभी से उसमें अव्यवस्था आ गई है । यह योजना आयोग द्वारा बनाई गई नीति के प्रतिकूल है और अलग अलग दलों द्वारा श्रमिकों को अपनी अपनी ओर खींचने से उनके हितों को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता । ये दल अपनी अपनी श्रम सदस्यता के बारे में झूठे दावे करते हैं और उन में प्रतियोगिता फैली हुई है । श्रम आंदोलन को इस दलदल से निकालना चाहिये ।

मेरा सुझाव है कि सरकार को विधान द्वारा उपबन्ध करना चाहिये कि एक उद्योग में एक मजदूर संघ हो और उसमें चुनाव की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो । इस प्रकार श्रम संगठन में एकता के लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी ।

इसके विकल्पस्वरूप यह सुझाव है कि एक पक्षीय सम्मेलन की मूल्यांकन समिति को एक उद्योग में एक ही मजदूर संघ को मान्यता देनी चाहिये । मजदूर संघों को पंजीबद्ध करने के लिए १५ प्रतिशत सदस्यता की आवश्यकता बहुत ही कम है । कम से कम सदस्यता ३० प्रतिशत रखनी चाहिये । ऐसा करने पर सरकार श्रम संगठन में एकता के सिद्धांत को स्वीकार करेगी और सैद्धांतिक दृष्टि से कितने मजदूर संघ हो सकते हैं उनकी संख्या को कम करेगी । इस से श्रम आंदोलन में अधिक एकता, परिपक्वता और जागृति का संचार होगा ।

सरकारी उद्योग क्षेत्र के उद्योगों की स्थिति यह है कि श्रमिकों के वेतन, वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुकूल नहीं हैं। श्रमिकों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता और श्रम और नियोजन मंत्रालय के हस्तक्षेप पर नियोजक मंत्रालयों में ईर्ष्या की भावना फैलती है।

मजूरी सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में श्री दीनेन भट्टाचार्य ही नहीं बल्कि श्री महलानोबिस का भी कथन है कि स्वतंत्रता पूर्व की तुलना में आज मजूरी कम है। या तो दूसरे वेतन आयोग के सूत्र में आमूल परिवर्तन करना चाहिये था या अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यांक में परिवर्तन किया जाये।

श्रम की गतिविधि तीन प्रकार से होती है एक तो गांव से नगर की ओर, दूसरे अप्रवीण से प्रवीणता की ओर, तीसरे सामाजिक अवरोध को हटाना।

तीसरी योजना में सुझाव है कि गांवों की ३० या ४० प्रतिशत आबादी को वहां रहने दिया जाय और शेष औद्योगिक केन्द्रों में लाई जाय। किन्तु नगरों में गंदी बस्तियां पैदा हो रही हैं, अतः सरकार को उद्योगों को फैलाना चाहिये।

अप्रवीण श्रमिकों को प्रवीण बनाने के सम्बन्ध में रेलवे में निर्णय किया गया था कि श्रेणी ४ के कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाय किन्तु बोनस सम्बन्धी प्रोत्साहन के कारण उत्पादन इतना बढ़ गया कि पदोन्नतियां नहीं की गईं।

सामाजिक दृष्टि से व्यक्तिगत और संरकारात्मक अवरोधों को समाप्त कर देना चाहिये।

रोजगार की स्थिति यह है कि २३½ लाख लोग बेरोजगार हैं। सरकारी उद्योगों में श्रेणी ४ के ५४ प्रतिशत लोग अप्रवीण हैं और श्रेणी ३ के ४६ प्रतिशत प्रवीण। इस प्रकार पिछले कई वर्षों से बड़ी जनसंख्या अप्रवीण लोगों की है।

दूसरी योजना से ९० लाख बेरोजगार तीसरी योजना में आये और तीसरी योजना में १७० लाख और बेरोजगार हो जायेंगे। अतः आवश्यकता यह है कि स्वतःचालित व्यवस्था स्थापित की जाये जिससे बेरोजगारी निरंतर बढ़ती न रहे।

श्री काशीनाथ पाडे (हाता): मैं माननीय मंत्री को बधाई देने के बाद माननीय श्री अलवारिस को याद दिलाना चाहता हूं कि आमरक के मद्रास के सम्मेलन में साम्यवादियों ने अलग संगठन बनाने की बात कही थी।

Shri Kachhavaiya. : **There is no quorum.**

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति है।

श्री काशीनाथ पांडे : मद्रास में हम ने यह निश्चय किया था कि श्रमिक के समक्ष स्पष्ट दृष्टिकोण रखने के लिए अलग संगठन बनाना चाहिए। ३ जून, १९४७ को दिल्ली में इंटक की स्थापना की गई। उस समय डा० लोहिया भी उपस्थित थे।

Shri Kachhavaiya : Still there is no quorum.

उपाध्यक्ष महोदय : सब दलों को ध्यान रखना चाहिये गणपूर्ति बनी रहे उसके बिना काम नहीं हो सकता ।

श्री कांतीनाथ पांडे : उस समय समाजवादी विचारधारा ने इस बात को अस्वीकार किया था और तभी इंटक की स्थापना की गई थी ।

Shri Kachhavaiya : There is no quorum.

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति नहीं है । सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १९ मार्च, १९६४/२९ फाल्गुन, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 19th March, 1964/Phalguna 29, 1885 (Saka).